हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोज़गार विभाग

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट

2021-22

विषय सूची

क्र0 सं0	अध्याय	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	अध्याय–1	परिचय	1
2.	अध्याय–2	संगठनात्मक ढांचा	2–7
3.	अध्याय–3	(1) रोजगार प्राप्ति से पहले सेवाएं :	
		(क) कौशल विकास भत्ता योजना–2013	7–10
		(ख) हि0 प्र0 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना–2018	10–12
		(ग) मॉडल कैरियर सैन्टर	12–14
		(2) रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए सेवाएं :	
		(क) रोज़गार शाखा/फौरन इम्पलायमैंट	14–16
		(ख) रोज़गार कार्यालयों का डिजिटलीकरण	16
		(ग) फौरन एम्प्लॉयमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो	16
		(घ) बेरोज़गारी भत्ता योजना–2017	16–18
		(ङ) विशेष रोज़गार कक्ष (अपंगों हेतु)	18
		(च) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां	18–19
		(छ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम	19–21
		(3) रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं	21
4.	अध्याय–4	श्रम तथा श्रम कल्याण	21–32
5.	अध्याय–5	श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण	32–34
6.	अध्याय–6	बजट/वास्तविक खर्च वर्ष	34–36
7.	अध्याय–7	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 10–4–2007.	37–40
8.	अध्याय–8	सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 31 मार्च, 2019 की स्थिति दर्शाती विभागीय ए0पी0आई0ओ0, पी0आई0ओ0 व एपीलेट अथोरिटी का विवरण।	40–47

अध्याय–1

परिचय

श्रम एवं रोज़गार विभाग, वर्ष 1972 से एक अलग विभाग के रूप में अस्तित्व में आया है तब से हिमाचल प्रदेष के मित्रतापूर्ण, परिश्रमी एवं आषावादी लोगों की सेवा में दृढ़संकल्प होकर कार्य कर रहा है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेष के लोगों के लिये तीन स्तरों पर सेवाएं उपलब्ध करवाता है :–

1. **रोज़गार प्राप्ति से पहले सेवाएं.**—विभाग अपने रोजगार कार्यालयों के माध्यम से प्रदेष के युवाओं को कौषल विकास तथा जीविका परामर्ष/व्यवसायिक मार्गदर्शन से सम्बन्धित सेवाएं उपलब्ध करवाता है। इसके तहत पात्र युवा आवेदकों को 1000/– रुपये, 1500/– रुपये की दर से कौशल विकास भत्ता प्रतिमाह दिया जाता है, जिससे उनकी दक्षता का स्तर बढ़े तथा वे आसानी से अपनी आजीविका का निर्वाह कर सके।
2. **रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं.**——विभाग प्रदेष में स्थित रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की मांगानुसार पात्र पंजीकृत आवेदक के नामों का सम्प्रेषण करता है। निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–षक्ति की मांग को पूरा करने के लिये केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के माध्यम से कैम्पस इन्टरव्यू/रोज़गार मेलों का आयोजन करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 को लागू करना तथा उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सार्वजनिक/निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं से रोजगार के आंकड़े एकत्रित करने का कार्य किया जाता है।
3. **रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं.**——इसके अन्तर्गत श्रम कानूनों (जिनकी संख्या 28 केन्द्रीय एवं राज्य है) के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा षर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक षान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत श्रमिकों एवं प्रबन्धकों के बीच मामलों को षीघ्रता से निपटाने हेतु स्थापित दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरणों में पूर्णकालिक पीठासीन अधिकारी कार्यरत हैं, जिनका मुख्यालय षिमला व धर्मषाला में स्थित है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत मुख्यतः कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण तथा उनमें कार्यरत कामगारों की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जाता है।

श्रम एवं रोज़गार विभाग का संगठनात्मक ढांचा तथा वर्ष 2021–22 में इस विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों का ब्योरा, बजट विवरण एवं सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित सूचना इस प्रषासनिक रिपोर्ट के अगले भागों में दी गयी है।

अध्याय–2

संगठनात्मक ढांचा

2021–22 में श्रम एवं रोज़गार विभाग ने माननीय उद्योग, श्रम एवं रोज़गार मंत्री की देख–रेख में कार्य किया जो इस विभाग के प्रभारी मन्त्री हैं। सरकार स्तर पर सचिवालय में अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार) तथा अवर सचिव (श्रम एवं रोज़गार) द्वारा सहयोग दिया गया।

श्रम एवं रोज़गार विभाग के निदेषालय स्तर पर श्रमायुक्त एवं निदेषक रोज़गार ''विभागाध्यक्ष'' के रूप में कार्यरत हैं।

निदेषालय स्तर पर विभाग मुख्यतः चार भागों में विभाजित हैः–

1. (क) निदेशालय स्तर पर श्रम खण्ड का कार्य श्रमायुक्त की देख–रेख में संयुक्त श्रमायुक्त एवं उप–श्रमायुक्त द्वारा संचालित किया जाता है। कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत श्रमायुक्त को ''मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किया गया है तथा संयुक्त–श्रमायुक्त ''अतिरिक्त मुख्य कारखाना निरीक्षक'' एवं उप–श्रमायुक्त ''उप मुख्य कारखाना निरीक्षक'' घोषित किये गये हैं।

   (ख) कारखाना अधिनियम, 1948 को कार्यान्वित करने के लिये दो उप–निदेषक कारखाना के पद सृजित हैं जिनमें से एक षिमला में तथा एक ऊना में स्वीकृत है। एक पद सहायक निदेषक (कारखाना) रसायन का रिक्त है।

इनका कार्यक्षेत्र निम्न प्रकार से विभाजित है :–

1. उप–निदेषक कारखाना–षिमला जिला–षिमला, किन्नौर, बिलासपुर, सोलन (बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ के औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
2. उप–निदेषक कारखाना, ऊना जिला–कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, मण्डी, कुल्लू, लाहौल–स्पीति व सिरमौर तथा बद्दी, बरोटीवाला तथा नालागढ़ का औद्योगिक क्षेत्र।

   उप–निदेषक (कारखाना) षिमला, निदेषालय का कार्य जो कि कारखाना खण्ड से सम्बन्धित है, भी देख रहे हैं।

(ग) इसी प्रकार निदेषालय स्तर पर रोज़गार से सम्बन्धित कार्यकलापों के लिये निदेषक रोज़गार की देख–रेख में उप–निदेषक रोज़गार तथा रोज़गार अधिकारी (केन्द्रीय रोज़गार कक्ष) कार्यरत रहे हैं जो कि रोज़गार षाखा, राज्य व्यवसायिक मार्गदर्षन कार्यक्रम, अपंगों हेतु विषेष रोज़गार कक्ष, कौषल विकास भत्ता योजना षाखा, हिमाचल प्रदेष औद्योगिक कौषल विकास भत्ता योजना षाखा, बेरोजगारी भत्ता योजना षाखा तथा केन्द्रीय रोज़गार कक्ष के कार्यों की देख–रेख करते हैं।

(घ) विधि षाखाः– श्रम एवं रोजगार विभाग में निदेषालय स्तर पर विभागों के समस्त खण्डों से सम्बन्धित वाद–विवादों/न्यायालय मामलों की देख–रेख व निपटान हेतु विधि खण्ड स्थापित हैं। जिसका पूर्ण कार्य विधि अधिकारी की देख–रेख में किया जाता है, जोकि विभिन्न न्यायालयों जैसे कि श्रम न्यायालय, दीवानी, फौजदारी, राजस्व न्यायालय, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में विभाग के लम्बित मामलों की पैरवी करते हैं।

श्रम एवं रोजगार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों का विवरण :

(क) श्रम कानूनों को लागू करने के लिये 12 श्रम अधिकारी तथा 33 श्रम निरीक्षक नियुक्त हैं। श्रम अधिकारी तथा उनके कार्यक्षेत्र का विवरण निम्न प्रकार से है :–

1.	श्रम अधिकारी, षिमला	उप–मण्डल षिमला (श्हरी एवं ग्रामीण), उप–मण्डल चौपाल एवं ठियोग तहसील।
2.	श्रम अधिकारी, रामपुर	रामपुर, रोहडू तथा डोडरा–क्वार उप–मण्डल तथा कुमारसैन तहसील, जिला षिमला तथा उप–मण्डल आनी जिला कुल्लू।

3.	श्रम अधिकारी, सोलन	उप–मण्डल सोलन, कण्डाघाट, अर्की तथा कसौली तहसील (बद्दी–बरोटीवाला औद्योगिक क्षेत्र को छोड़कर)।
4.	श्रम अधिकारी, बद्दी	तहसील नालागढ़ तथा औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला
5.	श्रम अधिकारी, नाहन	जिला सिरमौर
6.	श्रम अधिकारी, मण्डी	जिला मण्डी
7.	श्रम अधिकारी, कुल्लू	जिला कुल्लू (उप–मण्डल आनी को छोड़कर) उदयपुर तथा केलांग उप–मण्डल।
8.	श्रम अधिकारी, किन्नौर	जिला किन्नौर व उप–मण्डल काजा
9.	श्रम अधिकारी, धर्मषाला	जिला कांगड़ा
10.	श्रम अधिकारी, चम्बा	जिला चम्बा
11.	श्रम अधिकारी, बिलासपुर	जिला बिलासपुर एवं हमीरपुर
12.	श्रम अधिकारी, ऊना	जिला ऊना

(ख) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत प्रदेष को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। इनमें से एक खण्ड का मुख्यालय षिमला में स्थापित है जबकि दूसरे खण्ड का मुख्यालय ऊना में स्थापित है।

(ग) रोज़गार खण्ड में 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 2 विश्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्षन ब्यूरो, 9 जिला रोज़गार कार्यालय तथा 65 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं, जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	अधीनस्थ कार्यालय का विवरण
1.	क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, षिमला	कुमारसैन, मषोबरा, ठियोग, रामपुर–बुषैहर, रोहड़ू, जुब्बल, सुन्नी, चौपाल, चिड़गांव, डोडरा–क्वार तथा कुपवी।
2.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, मण्डी	सुन्दरनगर, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, गोहर, पधर, नेरचौक, बालीचौकी तथा थुनाग।
3.	क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, धर्मषाला	पालमपुर, ज्वाली, नूरपुर, लम्बागांव, नगरोटा–सूरियां, बैजनाथ, इन्दौरा, बड़ोह, देहरा, फतेहपुर, कस्बा–कोटला, कांगड़ा, ज्वालामुखी तथा नगरोटा बगवां।
4.	जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा	डलहौजी, भरमौर, पांगी, चुबाड़ी, तीसा एवं सलूणी स्थित सुन्डला।
5.	जिला रोज़गार कार्यालय, हमीरपुर	नदौन, भोरंज, बड़सर एवं सुजानपुर
6.	जिला रोज़गार कार्यालय, बिलासपुर	घुमारवीं एवं श्री नैना देवी जी
7.	जिला रोज़गार कार्यालय, कुल्लू	बंजार एवं आनी
8.	जिला रोज़गार कार्यालय, सोलन	नालागढ़, अर्की, कसौली एवं बद्दी
9.	जिला रोज़गार कार्यालय, नाहन	पांवटा साहिब, राजगढ़, षिलाई, संगड़ाह, सराहां एवं कमराऊ।
10.	जिला रोज़गार कार्यालय, केलांग	काज़ा एवं उदयपुर
11.	जिला रोज़गार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकांगपिओ।	पूह एवं निचार
12.	जिला रोज़गार कार्यालय, ऊना	अम्ब, हरोली एवं बंगाणा
13.	सूचना एवं मार्गदर्षन केन्द्र हि0 प्र0 विष्वविद्यालय, षिमला।	इस कार्यालय के अधीन कोई कार्यालय नहीं है
14.	सूचना एवं मार्गदर्षन केन्द्र हि0 प्र0 विष्वविद्यालय, पालमपुर।	–यथोपरि –
15.	निदेशालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित	केन्द्रीय रोज़गार कक्ष
16.	निदेषालय श्रम एवं रोज़गार में स्थित	विशेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु)

3. वर्ष 2021–22 में श्रम एवं रोज़गार विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति/ नियुक्ति तथा पदोन्नति का विवरण :

1. नई नियुक्तियां :		
(1)	जिला रोजगार अधिकारी	2
(2)	जूनियर ऑफिस एसिस्टैंट (आई0टी) अनुबन्ध आधार पर	1
(3)	श्रम निरीक्षक, अनुबन्ध आधार पर	1
(4)	दैनिक वेतन भोगी चतुर्थ श्रेणी (करूणामूलक अधाार पर)	2
2. पदोन्नतियां :		
(1)	जिला रोज़गार अधिकारी	1
(2)	श्रम अधिकारी	2
(3)	निजी सहायक	1
(4)	रोज़गार अधिकारी	1
(5)	वरिष्ठ सहायक	8
3. पदस्थापित		
(1)	कनिष्ठ सहायक के पद पर स्थापित	**7**
4. अनुबन्ध कर्मचारियों से नियमित किये गये कर्मचारीः—		
(1)	प्रथम श्रेणी	1
(2)	द्वितीय श्रेणी	1
(3)	तृतीय श्रेणी	38
5. दैनिक वेतन भोगी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी नियमित किये गये		6
6. एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम के अन्तर्गत 4—9—14 का लाभ दिया गयाः—		
(1)	तृतीय श्रेणी	1
(2)	चतुर्थ श्रेणी	26
7. सेवानिवृत्त :		
(1)	प्रथम श्रेणी	1
(2)	द्वितीय श्रेणी	4
(3)	तृतीय श्रेणी	3
(4)	चतुर्थ श्रेणी	3

श्रम एवं रोज़गार विभाग में दिनांक 31—3—2022 तक कुल 479 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 166 पद रिक्त हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है :—

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
1.	श्रमायुक्त एवं निदेषक रोज़गार (भा.प्र.से.)	1	1	—	
2.	पीठासीन अधिकारी	2	2	—	
3.	संयुक्त श्रमायुक्त	1	1	—	
4.	उप—श्रमायुक्त	1	—	1	
5.	उप—निदेषक रोज़गार	1	—	1	
6.	उप—निदेषक कारखाना	1	1	—	

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद	खाली पदों की प्रतिशतता
7.	सहायक निदेषक कारखाना, (मकैनिकल / कैमिकल)	2	1	1	
8.	जिला रोज़गार अधिकारी	13	13	—	
9.	अधीक्षक, ग्रेड-I	1	1	—	
10.	श्रम अधिकारी	12	12	—	
11.	रोज़गार अधिकारी	20	14	6	
12.	विधि अधिकारी	1	1	—	
13.	निजी सहायक	1	1	—	
14.	अधीक्षक, ग्रेड-II	12	11	1	
15.	वरिष्ठ आषुलिपिक	2	—	2	
16.	वरिष्ठ सहायक	62	22	40	
17.	सांख्यिकीय सहायक	11	4	7	
18.	श्रम निरीक्षक	33	25	8	
19.	प्रोग्राम प्लानिंग ऑफिसर	1	1	—	
20.	कनिष्ठ आषुलिपिक	1	1	—	
21.	आषुटंकक	4	3	1	
22.	चालक	5	4	1	
23.	लिपिक / कनिष्ठ सहायक	60	48	12	
24.	जूनियर ऑफिस असिस्टैंट	98	31	67	
25.	दफ्तरी	4	1	3	
26.	चौकीदार	13	7	6	
27.	चपड़ासी	115	106	9	
28.	फ्राष	1	1	—	
	जोड़ ..	**479**	**313**	**166**	**34.66%**

श्रम एवं रोज़गार विभाग, हिमाचल प्रदेश के अधीन वित्त वर्ष 2021—22 में 112 कार्यालय कार्यरत हैं।

(क) विभागीय 24 कार्यालय जो सरकारी भवनों में हैं.——श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण षिमला तथा धर्मषाला, क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय मण्डी तथा षिमला, विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्षन ब्यूरो षिमला एवं पालमपुर, जिला रोज़गार कार्यालय चम्बा तथा रिकांगपिओ, श्रम अधिकारी कार्यालय मण्डी, बद्‌दी तथा रामपुर बुषैहर, श्रम निरीक्षक कार्यालय रामपुर बुषैहर, मण्डी, परवाणु, नालागढ़, बद्‌दी, तथा पांवटा साहिब एवं उप—रोज़गार कार्यालय रामपुर बुषैहर, नालागढ़, भरमौर, काज़ा एवं चिढ़गांव, हरोली व बंगाणा।

(ख) विभागीय 47 कार्यालय जो विभागीय भवनों में हैं.——श्रम एवं रोज़गार निदेषालय षिमला, उप—निदेषक कारखाना षिमला, उप—निदेषक कारखाना ऊना, विषेष रोज़गार कक्ष (अपंगों हेतु), केन्द्रीय रोज़गार कक्ष, जिला रोज़गार कार्यालय ऊना, बिलासपुर, नाहन, कुल्लू व सोलन श्रम कार्यालय धर्मषाला, बिलासपुर, कुल्लू व सोलन एवं श्रम निरीक्षक कार्यालय बिलासपुर, कुल्लू, अम्ब, सुन्दरनगर, पालमपुर, देहरा, नूरपुर, नाहन, नालागढ़ व सोलन तथा उप—रोज़गार कार्यालय पांगी, तीसा, अम्ब, सराहां, पालमपुर, देहरा, इन्दौरा, जोगिन्द्रनगर, करसोग, सरकाघाट, सुन्दरनगर, पूह, संगड़ाह, सुजानपुर टिहरा, ज्वाली, राजगढ़, चुबाड़ी फतेहपुर एवं चौपाल, उदयपुर, नालागढ़, गोहर एवं नगरोटा सूरियां।

(ग) शेष **41** कार्यालय निजी भवनों में स्थित हैं।

क्रम संख्या	कार्यालय का नाम	प्राप्त प्राक्कलन	2021–22 में कुल प्राप्त बजट (कैपिटल वर्क्स) (1) 4250–पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवाएं–201–श्रम–01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) 1.66 करोड़। (2) 4250– पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवाएं–789–अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम–01 –भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) 0.70 करोड़।
			आबंटित बजट
1.	उप–रोज़गार कार्यालय, सरकाघाट जिला मण्डी, हि0 प्र0।	रू0 3,10,000 / –	(1) रू0 3,10,000 / – (2) रू0 ------
			कुल रू0 3,10,000 / –
2.	जिला रोजगार कार्यालय किन्नौर स्थित रिकाँगपिओ, हि0 प्र0।	रू0 3,00,00,200 / –	(1) रू0 99,700 / – (2) रू0 -----
			कुल रू0 99,700 / –
3.	उप–रोज़गार कार्यालय, बैजनाथ, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0।	रू0 63,59,900 / –	(1) रू0 50,55,800 / – (2) रू0 13,04,100 / –
			कुल रू0 63,59,900 / –
4.	उप–रोज़गार कार्यालय, घुमारवीं जिला बिलासपुर, हि0 प्र0।	रू0 63,47,230 / –	(1) रू0 25,20,230 / – (2) रू0 4,27,000 / –
			कुल रू0 29,47,230 / –
5.	उप–रोज़गार कार्यालय, नादौन जिला हमीरपुर, हि0 प्र0।	रू0 33,37,600 / –	(1) रू0 13,77,600 / – (2) रू0 20,00,000 / –
			कुल रू0 33,37,600 / –
6.	उप–रोज़गार कार्यालय, राजगढ़, जिला सिरमौर, हि0 प्र0।	रू0 70,62,800 / –	(1) रू0 67,73,350 / – (2) रू0 2,89,450 / –
			कुल रू0 70,62,800 / –
	वित्त वर्ष 2021–22 में कुल प्राप्त बजट का ब्यौरा। **(1)** 4250–पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवाएं–201–श्रम–01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) **1.66 करोड़।** **(2)** 4250–पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवाएं–789–अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम–01–भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) **0.70 करोड़।** **कुल रू0 2.36 करोड़।**		**वित्त वर्ष 2021–22 में** **(1)** 4250–पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवाएं– 201–श्रम–01 (मुख्य निर्माण कार्य) (योजना) (सून) षीर्ष में कुल व्यय **रू0** 1,60,96,680 अभ्यर्पण रू0 5,03,320 **(2)** 4250–पूंजीगत परिव्यय–00–अन्य सामाजिक सेवायें– 789–अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम–01–भवन निर्माण विकास कार्यक्रम (सून) में कुल व्यय **रू0** 40,20,550 अभ्यर्पण **रू0** 29,79,450 की राषि का हुआ है। जो कुल (1+2) व्यय **रू0 2,01,17,230** व अभ्यर्पण **रू0 34,82,730** की राषि का हुआ है।

नोट.––उक्त राशि का अभ्यर्पण उप–रोजगार कार्यालय कमरऊ के सरकारी विभागीय भवन निर्माण के लिए प्रस्तावित बजट जो कि रास्ते / ज़मीन की प्राकृतिक आपदा / भूस्खलन के कारण हुआ है।

नोट.——तालिका में अंकित कार्यालय उपरोक्त वर्णित कार्यालयों में ही सम्मिलित है।

अध्याय–3

रोजगार प्राप्ति से पहले व रोजगार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

जैसा कि इसी वार्षिक प्रषासनिक प्रतिवेदन के परिचय में वर्णित है। विभाग हिमाचल प्रदेष की जनता को तीन स्तरों पर सेवाएं प्रदान करता है।

(1) रोज़गार प्राप्ति से पहले सेवाएं

(क) कौशल विकास भत्ता योजना, 2013 :

- स्किल डवैलपमैन्ट अलाऊंस स्कीम, 2013 अर्थात् कौशल विकास भत्ता योजना को हि0प्र0 सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–श्रम (डी) 1–2/2013 दिनांक 21–5–2013 द्वारा अधिसूचित किया गया तथा अधिसूचना की तिथि से लागू किया जा रहा है।
- **योजना का उद्देश्य.——**कौषल विकास भत्ता योजना का उद्देष्य हि0 प्र0 के पात्र बेरोज़गार युवाओं को उनके कौषल विकास हेतु भत्ता प्रदान करना है, ताकि युवा अपने कौषल का विकास कर पायें और अपनी रूचि के क्षेत्र में रोज़गार या स्वरोज़गार अर्जित करने हेतु समर्थ हों।
- **कौशल विकास भत्ते की दर.——**योजना के अन्तर्गत पात्र हिमाचली आवेदकों को रु0 1000/– प्रतिमाह की दर से व 50 प्रतिषत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से कौषल विकास भत्ता प्रषिक्षण के दौरान अधिकतम दो वर्ष तक देय है।
- **कौशल विकास भत्ता हेतु पात्रता शर्तें.——**कौषल विकास भत्ता हेतु पात्रता षर्तें निम्नलिखित हैं :
  1. आवेदक हिमाचल प्रदेष का वास्तविक निवासी हो,
  2. बेरोजगार (न सरकारी, न निजी रोज़गार, न ही स्वरोजगार) हो,
  3. कम से कम 8वीं पास हो (मिस्त्री, बढ़ई, लुहार व पलम्बर आदि में प्रषिक्षण हेतु शैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है),
  4. आयु 16 से लेकर 36 वर्ष से कम, (विधवाओं के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष से कम)
  5. पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम,
  6. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिये,
  7. सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कौशल विकास पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा/रही हो।
- **कौशल विकास भत्ता तथा लाभार्थियों का विवरण.–**योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31–03–2022 तक 3,54,507 अभ्यर्थियों को रू0 349.87 करोड़ की राषि कौषल विकास भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है। वित्तीय वर्ष अनुसार व जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

वित्तीय वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–2021 व 2021–22 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या बारे विवरण

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रू0 में
2013–14	**42,077**	13,96,48,500

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रू0 में
2014—15	**52,815** (21,126 ऐसे लाभार्थी हैं जो पिछले वित्तीय वर्ष से जारी कर रहे हैं और 31,689 आवेदक इस वित्तीय वर्ष में इनरोल किए गए)	28,69,15,854
2015—16	**67,753** (जिनमें कि 27,221 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 40,532 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	40,00,74,500
2016—17	**80,606** (जिनमें कि 28,729 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 51,877 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	53,68,09,731
2017—18	**90,428** (जिनमें कि 40,349 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 50,079 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	58,46,26,000
2018—19	**80,656** (जिनमें कि 32,136 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 48,520 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	**56,78,42,500**
2019—20	**73,210** (जिसमें कि 32,441 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 40,769 इस वित्तीय वर्ष में नए अथ्यर्थी हैं)	**45,89,30,000**
2020—21	**55,060** (जिसमें कि 40,642 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 14,418 इस वित्तीय वर्ष में नए अथ्यर्थी हैं)	**26,10,60,000**
2021—22	**48,628** (जिसमें कि 14,082 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 34,546 इस वित्तीय वर्ष में नए अथ्यर्थी हैं)	**26,28,81,500**
कुल	**3,54,507** (रिपीट कर रहे अभ्यर्थियों को नहीं जोड़ा गया है।)	**3,49,87,88,585**

- **योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31—03—2022 तक जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:**

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी / लाभार्थी	वितरित भत्ता राशि रू0 में
1.	कांगड़ा	91118	906029500
2.	मण्डी	52648	505449500
3.	सिरमौर	33254	350897354
4.	ऊना	34255	318558500
5.	हमीरपुर	28741	294473500
6.	बिलासपुर	24594	240161500

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल प्रशिक्षणार्थी / लाभार्थी	वितरित भत्ता राशि रू0 में
7.	कुल्लू	24029	241016500
8.	चम्बा	21881	215155000
9.	षिमला	21267	204232631
10.	सोलन	20816	202611600
11.	किन्नौर	1564	16634500
12.	लाहौल स्पीति	340	3568500
	कुल ..	**3,54,507**	**3,49,87,88,585**

- **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण.**—कौषल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रषिक्षणों बारे गाईडलाइन्ज/सूची तैयार की गई। इन गाईडलाइन्ज को सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है जो कि विभागीय वैबसाईट पर उपलब्ध है। इन गाईडलाइन्ज अनुसार **कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत मान्य प्रशिक्षण मुख्यतः**

(1) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, पॉलीटैक्नीकल कॉलेजों द्वारा दिए जा रहे डिप्लोमा प्रशिक्षण व सर्टिफिकेट कोर्स, एन0एस0क्यू0एफ0 (NSQF), एन0सी0वी0टी0 (NCVT) एस0सी0वी0टी0 (SCVT) तथा सरकार द्वारा अनुमोदित डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रशिक्षण व कोर्स।

(2) राष्ट्रीय होटल प्रबन्धन कौंसिल से मान्यता प्राप्त होटल प्रबन्धन व हास्पीटैलिटी में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रषिक्षण व कोर्स।

(3) कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों द्वारा करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रषिक्षण, सरकार व इसके निकायों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों और राष्ट्रीय स्तर के निजी क्षेत्र के संस्थान जिनमें कि राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (NIIT), एप्टैक (Aptech), जैटकिंग (Jetking), ए0आई0एस0ई0सी0टी0 (AISECT), हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्ज समिति (HCL) शामिल हैं द्वारा कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी में करवाए जा रहे डिप्लोमा प्रमाण–पत्र प्रषिक्षणों (बषर्ते निजी प्राधिकृत संस्थानों को जिला स्तरीय समितियों द्वारा अनुषासित किया गया हो) के अतिरिक्त।

(4) जिला स्तरीय समितियों द्वारा प्राधिकृत संस्थानों के मुख्यतः कटिंग टेलरिंग, ब्यूटीषियन, कढ़ाई, बुनाई, फैषन डिज़ाइनिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग, मोबाईल रिपेयर, चम्बा रूमाल एम्ब्रॉयडरी, मूर्ति कला, बैम्बू आर्टिकल, इलैक्ट्रीषियन, हैन्डलूम, षोर्ट हैन्ड टाइपिंग आदि में दिए जा रहे प्रषिक्षण जो कि युवाओं को स्वयं रोजगार उपलब्ध करवाने में सहायक हैं, योजना के अन्तर्गत मान्य हैं।

(5) नर्सिंग क्षेत्र में रोजगार की अधिक सम्भावनाओं के अनुरूप नर्सिंग में डिप्लोमा व सर्टिफिकेट प्रषिक्षण के अलावा बी0एस0सी0 नर्सिंग एवं नर्सिंग में अन्य स्नातक प्रषिक्षणों जो सरकारी व सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से किया जा रहा हो को भी योजना के अन्तर्गत अप्रैल 2015 से शामिल किया गया है।

(6) इसके अतिरिक्त हि0 प्र0 सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेष विष्वविद्यालय के चुनिन्दा महाविद्यालयों द्वारा **B. Voc. Education (Retail Management and Tourism & Hospitality)** को भी फरवरी, 2017 से योजना के अन्तर्गत शामिल किया गया।

इस समय लगभग 1200 से अधिक प्रषिक्षण संस्थानों/निकायों (सरकारी संस्थाओं तथा सरकार से मान्यताप्राप्त गैर सरकारी संस्थानों और प्रशिक्षण संस्थान जिन्हें कि जिला स्तरीय समितियों द्वारा

अनुशासित/इम्पैनल किया गया है) द्वारा करवाए जा रहे प्रषिक्षण योजना के अन्तर्गत मान्य हैं। प्रषिक्षण संस्थानों/निकायों बारे सूचना विभागीय वैबसाईट पर भी उपलब्ध है।

अंग्रेजी भाषा में प्रशिक्षण कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत षामिल हि0प्र0 सरकार द्वारा, अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रषिक्षण के लिए अच्छी संस्थाओं को सूचीबद्ध करने तथा अंग्रेजी भाषा बोलने हेतु प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र युवाओं को कौषल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता प्रदान करने बारे, लिए गए निर्णय को लागू करने के आषय से विभाग द्वारा इस बारे स्कीम/गाईडलाईन्स जारी की गई। प्रारम्भिक स्तर पर हिमाचल प्रदेष में षिक्षा विभाग तथा तकनीकी षिक्षा विभाग के 57 चुनिन्दा संस्थानों में अंग्रेजी भाषा में प्रषिक्षण प्रदान करने बारे है, निर्णय लिया गया तथा वर्तमान में इन संस्थानों की संख्या 65 है। अंग्रेजी भाषा में प्रषिक्षण प्राप्त कर रहे पात्र आवेदकों को विभाग द्वारा कौषल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता प्रदान किया जाता है।

कौशल विकास भत्ते का भुगतानः कौषल विकास भत्ते का भुगतान पात्र प्रषिक्षणार्थियों को सीधा उनके बैंक खातों में ऑनलाईन अदा किया जाता है।

(ख) हि0 प्र0 औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना–2018ः

हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा उद्योगों में रोजगार प्राप्त युवाओं को 2 वर्ष तक कौषल विकास भत्ता प्रदान करने बारे लिए गए निर्णय को लागू करने के आषय से विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेष औद्योगिक कौषल विकास भत्ता योजना, 2018 को 2–11–2018 को अधिसूचित किया गया और क्रियान्वित किया जा रहा है। योजना के अन्तर्गत योजना की अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2–11–2018 से उद्योगों में नियुक्त नए कामगारों/कर्मचारियों/प्रषिक्षुओं जो निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरा करते हैं, को नौकरी/इन्टर्नषिप के दौरान कौषल विकास हेतु रु0 1000/– प्रति माह तथा 50 प्रतिषत या इससे अधिक स्थायी दिव्यांग आवेदकों को रु0 1500/– प्रतिमाह की दर से, औद्योगिक कौषल विकास भत्ता का दो वर्ष (24 माह) तक प्रावधान है, ताकि उद्योगों में कार्यरत युवा ऑनजॉब प्रषिक्षण प्राप्त कर रोज़गार के बेहतर विकल्पों का लाभ उठा सकें।

पात्रता शर्तें :

1. आवेदक हिमाचल प्रदेष का वास्तविक निवासी हो,
2. हिमाचल प्रदेष में निजी औद्योगिक संस्थान जोकि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 (एम) (आई) के अन्तर्गत पंजीकृत हो, में अधिसूचना की तिथि अर्थात् 2–11–2018 और इसके उपरान्त नया कामगार/कर्मचारी/प्रशिक्षु नियुक्त किया गया हो तथा कुल वेतन/स्टाइपेण्ड रू0 15000 या इससे कम हो।
3. षैक्षणिक योग्यता अनिवार्य नहीं है
4. आयु 18 से लेकर 36 वर्ष से कम हो
5. नियोक्ता द्वारा मुफ्त में आवासीय सुविधा प्रदान न की गई हो
6. पहले 24 माह तक कौषल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त न किया हो। लेकिन 24 माह से कम समय हेतु कौषल विकास भत्ता या बेरोज़गारी भत्ता प्राप्त करने की स्थिति में शेष समय हेतु औद्योगिक कौषल विकास भत्ता हेतु अन्य पात्रता मापदण्ड पूरा करने पर पात्र होंगे।
7. वह सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए

8. वह किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

9. आवेदन की तिथि को आवेदक हि0प्र0 के किसी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

हिमाचल प्रदेश औद्योगिक कौशल विकास भत्ता योजना के अन्तर्गत दिनांक 31–03–2022 तक 3,901 पात्र आवेदकों को रु0 3.50 करोड़ औद्योगिक कौशल विकास भत्ता प्रदान किया गया। वित्तीय वर्ष अनुसार व जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राशि रु0 में
2019–20	202	8,63,000
2020–21	2,740 (जिनमें कि 180 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 2,560 इस वित्तीय वर्ष मे नए अभ्यर्थी हैं)	84,34,000
2021–22	**2,613** (जिनमें कि 1,474 अभ्यर्थी पिछले वित्तीय वर्षो से जारी कर रहे हैं तथा 1,139 इस वित्तीय वर्ष मे नए अभ्यर्थी हैं)	2,57,84,500
कुल ..	**3,901** (रिपीट कर रहे अभ्यर्थियों को नहीं जोड़ा गया है।)	**3,50,81,500**

योजना के प्रारम्भ से दिनांक 31–03–2022 तक जिलावार ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	जिला का नाम	कुल प्रषिक्षणार्थी / लाभार्थी	वितरित भत्ता राषि रु0 में
1.	कांगड़ा	438	3716500
2.	मण्डी	269	2535500
3.	ऊना	599	5786500
4.	सिरमौर	718	7262000
5.	हमीरपुर	164	1559000
6.	बिलासपुर	208	1411000
7.	कुल्लू	102	1057000
8.	चम्बा	78	569000
9.	षिमला	173	1332000
10.	सोलन	1137	9692000
11.	किन्नौर	15	161000
12.	लाहौल–स्पिति	0	0
	कुल ..	**3901**	**3,50,81,500**

व्यवसायिक मार्गदर्शन तथा रोजगार परामर्श: विभाग प्रदेष के युवाओं का व्यवसायिक मार्गदर्षन तथा कौंसलिंग से सम्बन्धित कार्यों का क्रियान्वयन भी करता है तथा इसी आषय से जिला रोजगार कार्यालयों को मॉडल कैरियर सैन्टर में बदला जा रहा है। माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेष द्वारा सभी जिला रोजगार कार्यालयों में व बड़े महाविद्यालयों में युवाओं के मार्गदर्षन के लिए रोजगार सैल (Cell) खोले जाने से सम्बन्धित घोषणा के क्रियान्वयन हेतु भी विभाग द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। इस आषय से हि0प्र0 सरकार द्वारा दिनांक 20–11–2018 को गाईडलाईन्स जारी की गई है। युवाओं को प्रभावी ढंग से मार्गदर्षन प्रदान करने के उद्देष्य से प्रत्येक जिलों में उप मण्डलाधिकारी (नागरिक) की अध्यक्षता में हि0प्र0 सरकार के 16 विभागों / संस्थाओं के प्रतिनिधियों की टीमें गठित की गई हैं और इन टीमों द्वारा सम्बन्धित

रोजगार कार्यालयों के अतिरिक्त प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर बेरोज़गार युवाओं को कौषल विकास, रोजगार के विभिन्न उपलब्ध विकल्पों, रोजगार व स्वरोजगार अवसरों बारे तथा युवाओं से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं बारे उचित जानकारी/मार्गदर्षन प्रदान किया जा रहा है। इसके अतिरक्ति विभाग 1 कैरियर कॉउंसलर एवं 11 यंग प्रोफेषनल भी नियुक्त किए गए हैं, जो कि विभाग में व्यवसायिक मार्गदर्षन तथा कौंसलिंग से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। नवम्बर 2018 से दिनांक 31–03–2022 व्यवसायिक मार्गदर्षन तथा कौंसलिंग कार्यक्रम के अन्तर्गत 77,462 युवा लाभान्वित हुए हैं, जबकि वित्तीय वर्ष 2021–22 में 17,732 युवा लाभान्वित हुए हैं।

इसके अतिरिक्त स्टेषनरी छपवाने के लिये 2,34,000 रु0 का बजट प्रावधान रखा गया था। जिससे 45,000 फार्म, 3,00,000 X-1 कार्ड व 50,000 X-10 कार्ड तथा कार्यालय में प्रयोग होने वाले अन्य फार्म छपवाये गये और पूरे बजट को व्यय किया गया।

(ग) युवाओं के व्यावसायिक तथा जीविका मार्गदर्शन के लिये आदर्श आजीविका केन्द्र (Model Career Centers) की स्थापना :

श्रम और रोज़गार मंत्रालय एवं भारत सरकार ने 20 जुलाई, 2015 को राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना षुरू की है। जिसका उद्देष्य युवाओं को विभिन्न प्रकार की रोज़गार सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस) योजना का एक महत्वपूर्ण घटक मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिषा–निर्देषों के अनुसार मौजूदा रोज़गार एक्सचेंजों को मॉडल कैरियर केन्द्रों में बदलना है। हिमाचल प्रदेष के लिए 2 मॉडल कैरियर केन्द्रों ऊना और षिमला को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था। परन्तु अब षिमला में जगह नहीं मिलने के कारण जिला रोज़गार कार्यालय कुल्लू को भारत सरकार द्वारा मॉडल कैरियर केन्द्र में परिवर्तित किया जा रहा है।

तदनुसार बद्दी औद्योगिक क्षेत्र सहित षेष जिलों में एषियाई विकास बैंक के वित्त पोषण के साथ मॉडल कैरियर केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन जिला किन्नौर और लाहौल–स्पीति को अब एषियाई विकास बैंक परियोजना से बाहर रखा गया है। हिमाचल प्रदेष में मॉडल कैरियर सैन्टर को चलाने के लिये 11 यंग प्रोफेशनल व 1 कैरियर सलाहकार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेष सरकार और भारत सरकार के अनुदान से साथ जिला रोजगार ऊना को मॉडल कैरियर सेंटर को परिवर्तित कर लिया गया है और जिला रोजगार कार्यालय कांगड़ा स्थित धर्मषाला, हमीरपुर, मण्डी, व चम्बा का कार्य 80 प्रतिषत पूर्ण कर लिया गया है।

अन्य जिला रोजगार कार्यालय जैसे, सिरमौर, बद्दी, कस्बा कोटला, सोलन, किन्नौर, कुल्लू, बिलासपुर व षिमला का कार्य जल्द ही सभी कोडल औपचारिकताओं को पूर्ण करने के साथ पूरा कर लिया जाएगा।

मॉडल कैरियर केन्द्र की स्थिति का नाम :

क्र0 सं0	जिला का नाम	कुल प्राप्त प्राक्कलन	ब्यौरा
1	2	3	4
1.	ऊना	58,78,200/– (हि0प्र0 सरकार द्वारा) व 17.83 करोड़ (भारत सरकार द्वारा)	हिमाचल प्रदेष सरकार और भारत सरकार के अनुदान के साथ मॉडल कैरियर सेंटर, ऊना के लिए आवष्यक बुनियादी ढांचे का निर्माण कर दिया गया है ।
2.	शिमला	––	इस वित्त वर्ष में मामले के अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार) हि0प्र0 के साथ विभाग द्वारा कार्यालय पत्र संख्या एलएण्डई (ईएमपी)एमसीसी–2014 भाग–7 दिनांक 10–11–2021 व दिनांक 05–04–2022 के
1	2	3	4
			माध्यम से यूएस क्लब में क्षेत्रीय रोजगार कार्यालय, षिमला के वर्तमान स्थान पर मॉडल कैरियर सैन्टर षिमला खोलने के लिए उठाया गया है। मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

3.	हमीरपुर	4.33 करोड़	एषियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।
4.	सिरमौर	–	सिरमौर में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम भूमि स्थानांतरित कर दी गई है। इसे एषियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य शीघ्र ही षुरू कर दिया जायेगा।
5.	मण्डी	2,36,35,000 / –	एषियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य षीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।
6.	बद्दी	3,54,20,679 / –	एशियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य शीघ्र ही पूरा कर दिया जायेगा।
7.	कांगड़ा	1,03,70,800 / –	एषियाई विकास बैंक के अनुदान के साथ निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया हैं जिसका माननीय मुख्य मन्त्री श्री जयराम ठाकुर जी द्वारा दिनांक 30–03–2022 को उद्घाटन कर दिया गया है।
8.	कुल्लू	28,78,500 / – (प्राप्त /आबंटित रु0 16,75,500 / – 60 प्रतिषत)	एमसीसी कुल्लू का फण्ड एमसीसी षिमला को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव रोज़गार और प्रषिक्षण महानिदेषालय, श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार को दिनांकः 04–02–2019 को भेजा गया था। श्रम और रोज़गार मंत्रालय, भारत सरकार ने उक्त फण्ड को मॉडल कैरियर सेन्टर कुल्लू को पत्र संख्या डी0 जी0 ई0–यू0 11011/4/2019– एमएमपीसैल/ एमएमसी/ एचपी दिनांकः 24–09–2019 के तहत स्वीकृति प्रदान कर दिया। विभाग द्वारा कुल स्वीकृत बजट को खर्च कर लिया गया है जिसके उपरान्त उपयोगिता प्रमाण–पत्र रोजगार और प्रषिक्षण महानिदेषालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया गया है व षेष 40 प्रतिषत बजट को जारी करने के लिए अनुरोध किया है।
9.	किन्नौर	3,00,00,00,200 / –	मॉडल कैरियर सैन्टर किन्नौर को स्टेट फंडिंग के साथ स्थापित किया जा रहा है। विभाग के नाम पर भूमि हस्तांतरित कर दी गई है। वित्त वर्ष 2018–19 में विभाग के मुख्य शीर्ष कैपिटल वर्क्स में रुपये 1.87 करोड़ दिया गया है। तदनुसार उपरोक्त कार्य 12 अगस्त, 2020 को षुरू कर दिया गया है।
1	**2**	3	4
10.	सोलन	4,21,38,000 / –	सोलन में मॉडल कैरियर सैन्टर बनाने हेतु विभाग के नाम भूमि स्थानातरित की गई । विभाग द्वारा पत्र संख्या एल0एण्ड0ई0 (बिल्डिंग) 2/2020 मॉडल कैरियर सैन्टर सोलन दिनांक 28–01–2021 के तहत प्रषासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेष कौषल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है।

11.	चम्बा	3,80,22,000 / –	विभाग द्वारा पत्र संख्याः एल एण्ड ई (बिल्डिग)2 / 2020 मॉडल कैरियर सैन्टर चम्बा दिनांक 16–03–2020 के तहत प्रषासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेष कौषल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई है। तदनुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
12.	बिलासपुर	1,24,63,407 / –	अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोज़गार) हि0 प्र0 सरकार के कार्यालय पत्र संख्या श्रम (सी) 5–2 / 2016 दिनांक 20–03–2020 के तहत प्रषासनिक स्वीकृति प्राप्त हो गई है। तदनुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
13.	कस्बा कोटला (धर्मशाला)	4,03,94,000 / –	विभाग द्वारा पत्र संख्या एल0एण्ड0ई0 (एनएलडीजी) 2020 / कस्बा कोटला, दिनांक 30–12–2020 की प्रषासनिक स्वीकृति हिमाचल प्रदेष कौषल विकास निगम को आगामी कार्यवाही हेतु भेज दी गई हैं तदनुसार उपरोक्त कार्य प्रगति पर है।
14.	उदयपुर (लाहौल–स्पिति)	–	मॉडल कैरियर सैन्टर, उदयपुर जिला लाहौल–स्पिति ग्रामीण विकास विभाग के भवन में स्थित होगा।
15.	काजा (लाहौल–स्पिति)	–	मॉडल कैरियर सैन्टर, काजा जिला लाहौल–स्पिति ग्रामीण विकास विभाग के भवन में स्थित होगा।

2. रोज़गार उपलब्ध करवाने के लिये सेवाएं

(क) रोज़गार शाखा :

हिमाचल प्रदेष में इस समय 3 क्षेत्रीय रोज़गार कार्यालय, 9 जिला रोजगार कार्यालय, 2 विष्वविद्यालय रोज़गार सूचना एवं मार्गदर्षन केन्द्र व 65 उप–रोज़गार कार्यालय कार्यरत हैं। ये रोज़गार कार्यालय अभ्यर्थियों / जनता को पंजीकरण, सेवा नियोजन, व्यवसायिक मार्गदर्षन सूचना देने में सहायता करते हैं व रोजगार बाजार सूचना भी एकत्रित करते हैं। हिमाचल प्रदेष सरकार ने फौरन इम्प्लायमैंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो का निदेषालय श्रम एवं रोज़गार में गठन किया है ताकि विदेष जाने के इच्छुक कामगारों का प्राईवेट एजैन्टों से होने वाले शोषण से उन्हें बचाया जा सके।

01–04–2021 से 31–03–2022 तक विभाग द्वारा की गई उपलब्धियां

क्र. सं.	जिला	पंजीकरण	अधिसूचित रिक्तियां	सम्प्रेषण	सेवा नियोजन		सजीव पंजिका (पंजीकृत आवेदकों की संख्या)	नियोजित आवेदक
					सरकारी क्षेत्र	निजी क्षेत्र		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	बिलासपुर	13022	53	1409	1	565	58453	2419
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	चम्बा	17579	5953	1385	34	155	64759	5
3.	हमीरपुर	17462	754	6894	146	612	67171	2911
4.	कांगड़ा	47113	998	9229	120	343	183613	6343

5.	किन्नौर	4062	0	3	0	0	8592	0
6.	कुल्लू	11847	41	1333	36	152	56162	72
7.	लाहौल स्पीति	981	0	0	0	0	5261	0
8.	मण्डी	42189	81	5680	189	511	165423	5212
9.	शिमला	16354	1220	6639	121	29	79882	930
10.	सिरमौर	14470	1120	1186	13	284	64297	4560
11.	सोलन	15613	3913	22796	17	256	55161	3904
12.	ऊना	13489	75	3915	154	511	68533	3014
	दिव्यांग आवेदक	(1623)	174	753	163	0	(19601)	—
	जॉब फेयर	—	—	—	—	1246	—	—
	जोड़ ..	**2,14,181**	**14,382**	**61,222**	**994**	**4,664**	**8,77,307**	**29,370**

टिप्पणी–दिव्यांग आवेदकों के पंजीकरण एवं सजीव पंजिका के आंकड़े जिलों के आंकड़ों में शामिल हैं अतः कुल योग में शामिल नहीं है।

शिक्षावार विभाजन

स्नातकोत्तर	76338
स्नातक	141479
+2	416392
दसवीं	212539
दसवीं से कम पढ़े–लिखे	30126
अनपढ़	433
कुल योग ..	**8,77,307**

जातिवार विभाजन

अनुसूचित जाति	229631
अनुसूचित जनजाति	50651
ओ.बी.सी.	113854
अन्य	483171
कुल योग ..	**8,77,307**

स्त्री/पुरुष विभाजन

पुरुष	488740
स्त्री	388567
कुल योग ..	**8,77,307**

शहरी ग्रामीण विभाजन

षहरी	149441
ग्रामीण	727866
कुल योग ..	**8,77,307**

(ख) रोजगार कार्यालयों का डिजिटलीकरण :

- राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र हि0प्र0, षिमला (जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर एप्लीकेषन को तैयार/संषोधित किया जा रहा है) के प्रतिनिधियों और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हि0 प्र0 के प्रतिनिधियों के साथ इस बारे बैठकों का आयोजन किया गया।
- एस0ओ0पी0 तैयार कर प्रषासनिक विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा अनुमोदन उपरान्त राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र हि0प्र0, षिमला को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचित कर दिए गए हैं।
- विभाग द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र हि0प्र0, षिमला को सॉफ्टवेयर एप्लीकेषन में वांछित संषोधित करने हेतु जनशक्ति आवष्यकता आदि के लिए रु0 20,89,603/– के बजट का प्रावधान कर दिया गया है।
- ऑनलाईन कागज मुक्त पंजीकरण से सम्बन्धित डिजिटलीकरण 31–08–2022 तक पूरा होना सम्भावित है।

(ग) फौरन एम्पलॉयमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो :

हिमाचल प्रदेष के विषेषकर कुषल, अर्ध–कुषल एवं तकनीकी प्रषिक्षण प्राप्त इच्छुक प्रार्थियों को विदेष में रोजगार के अवसर जुटाने के दृष्टिगत तथा उन्हें पासपोर्ट, वीजा व उत्प्रवासी अधिनियम व विनियम के बारे जानकारी उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से श्रम एवं रोजगार विभाग में वर्ष, 1994 में फौरन एम्पलायमेंट एण्ड मैनपावर एक्सपोर्ट ब्यूरो की स्थापना की गई है। यह ब्यूरो उत्प्रवासी अधिनियम के अन्तर्गत महासंरक्षी उत्प्रवासी, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जनषक्ति निर्यात किए जाने के उद्देश्य हेतु पंजीकृत है। 01–04–2021 से 31–03–2022 में एक आवदेक का पंजीकरण हुआ है।

(घ) बेरोजगारी भत्ता योजना–2017 (01–04–2021 से 31–03–2022) तक :

हिमाचल प्रदेष सरकार ने प्रदेष के बेरोज़गार युवाओं हेतु बेरोज़गारी भत्ता योजना माह अप्रैल, 2017 में अधिसूचित कर दी थी तथा माननीय मुख्य मंत्री हि0 प्र0 ने 15–4–2017 को इसका षुभारम्भ चम्बा में कर दिया था। इस योजना के तहत षारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति (कम से कम 50 प्रतिशत स्थाई विकलांगता) के लिए रू0 1500/– (रु0 एक हज़ार पांच सौ) प्रतिमाह की दर से तथा अन्य सभी श्रेणियों के आवेदकों को रू0 1000/– (रु0 एक हज़ार) प्रतिमाह की दर से कुल 2 वर्ष की अवधि हेतु भत्ता देय है। इस योजना के तहत भत्ता प्राप्त करने की पात्रता की षर्तें निम्न प्रकार से हैं–

इस योजना के दृष्टिगत वे सभी शिक्षित बेरोज़गार आवेदक बेरोज़गारी भत्ता के पात्र होंगे, जो निम्नलिखित मानदंड पूर्ण करते हों :

(क) आवेदक बेरोजगार होना चाहिए (अर्थात् न सार्वजनिक, न निजी क्षेत्र और न ही स्वरोज़गार में हो) और हिमाचल का स्थाई निवासी होना चाहिए।

(ख) आवेदक हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो

(ग) आवेदन करने की तिथि को एक वर्ष पहले से आवेदक हिमाचल प्रदेष के किसी रोज़गार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए।

(घ) आवेदन करने की तिथि से ठीक पूर्व के वित्त वर्ष में सभी स्त्रोतों से आवेदक की पारिवारिक आय रू0 2.00 लाख (दो लाख) से कम होनी चाहिए, इसमें उसके पति/पत्नी की आय भी षामिल है।

(ङ) आवेदन करने की तिथि को आवेदक की आयु 20 वर्ष से अधिक तथा 35 वर्ष से कम होनी चाहिए।

(च) आवेदक सरकार का बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए

(छ) आवेदक किसी ऐसे अपराध में दण्डित न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हो।

(ज) आवेदक किसी कोर्स का नियमित छात्र नहीं होना चाहिए

(झ) आवेदक कौषल विकास भत्ता प्राप्त न कर रहा हो

योजना की पूरी जानकारी विभागीय वैबसाइट http://admis.hp.nic.in/unemp पर उपलब्ध है तथा पात्र युवा भत्ता प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने उपरान्त आवेदन प्रपत्र और स्व–प्रमाणित घोषणा (Self Certified Declaration) प्रपत्र का प्रिंट लेकर तथा वांछित प्रमाण–पत्र संलग्न करके सम्बन्धित रोज़गार कार्यालय जहां पर आवेदक का नाम दर्ज है जमा करवायें। योजना का प्रारम्भ से दिनांक 31–03–2022 तक 1,21,237 अभ्यर्थियों का रु० 177.00 करोड़ की राषि बेरोज़गारी भत्ते के रूप में विभाग द्वारा वितरित की जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष 2017–18, 2018–19, 2019–20, 2020–21 व 2021–22 के दौरान दिए गए भत्ते तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण।

वित्तीय वर्ष	लाभार्थियों की संख्या	प्रदान किए गए भत्ते की राषि रुपये
2017–18	24,129	17,40,56,000 / –
2018–19	31,012 (16,656 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	28,32,01,000 / –
2019–20	50,347 (28,905 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	37,75,78,000 / –
2020–21	68,074 (25,319 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	37,58,71,000 / –
2021–22	73,937 (26,228 इस वित्तीय वर्ष के नए अभ्यर्थी हैं)	55,93,40,500 / –
	कुल 1,21,237	**1,77,00,46,500 / –**

इस वित्तीय वर्ष (2021–22) का जिलावार ब्यौरा

क्र0 सं0	जिला	लाभार्थी संख्या	वितरित राशि (रुपये में)
1.	बिलासपुर	5,783	4,08,83,000 / –
2.	चम्बा	4,074	4,65,61,000 / –
3.	हमीरपुर	3,867	3,85,78,000 / –
4.	कांगड़ा	16,779	9,29,21,000 / –
5.	किन्नौर	379	21,56,000 / –
6.	कुल्लू	5,769	4,80,73,000 / –
7.	लाहौल–स्पीति	70	6,26,000 / –
8.	मण्डी	16,082	12,56,26,000 / –
9.	षिमला	7,120	5,98,02,000 / –
10.	सिरमौर	4,566	5,06,48,500 / –
11.	सोलन	1,657	1,53,28,000 / –
12.	ऊना	7,791	3,81,38,000 / –
	जोड़ ..	**73,937**	**55,93,40,500 / –**

(ङ) श्रम एवं रोज़गार निदेशालय में स्थापित विशेष रोज़गार कार्यालय (अंपगों हेतु) द्वारा वर्ष 2021–22 में किये गये कार्यकलापों का विवरण :

सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार सहायता प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार निदेषालय में प्रभारी अधिकारी (स्थापना) के अधीन वर्ष, 1976 में विषेष रोज़गार कार्यालय (अपंगों हेतु) की स्थापना की गई है। समाज के इस कमजोर वर्ग को कई प्रकार की सुविधाएं/रियायतें दी गई हैं जैसे कि मैडिकल बोर्ड द्वारा निःषुल्क स्वास्थ्य परीक्षा, सरकारी नौकरियों में ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट, ऊपरी अंगों की (हाथ तथा बाजू) अपंगता होने पर टंकण करने की छूट तृतीय व चतुर्थ श्रेणी की रिक्तियों में 4 प्रतिषत का कार्मिक विभाग (एपी–III) की अधिसूचना संख्याः (एपी)–सीएफ(4)–4/2020, दिनांक 22–06–2020 द्वारा पदों में नियुक्ति के

लिये आरक्षण आरक्षित 4 प्रतिषत सीटें औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान व सिलाई केन्द्र और विभागीय 100 अंकों में विषिष्ट अंक के विरुद्ध आरक्षण प्रदान करना रोस्टर प्रथम 1 से 25वां, दूसरा 25वां से 50वां, तीसरा 50वां से 75वां व चौथा 75वां से 100वां।

विषेष रोज़गार कार्यालय (विषेष रूप से दिव्यांगों के लिये) नियोजकों से प्राप्त रिक्तियों के विरुद्ध पात्र आवेदकों के नाम सम्प्रेषित/प्रायोजित करता है, जोकि अपेक्षित ष्षर्तों और नियमों को पूरा करते हैं। 1–4–2021 से 31–03–2022 के दौरान, कुल 1,623 नये विषेष योग्य व्यक्तियों को विषेष रोज़गार कार्यालय के सजीव पंजीका पर लाया गया, इस अवधि में कुल संख्या 19,601 पर लाई गई। 163 विषेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोज़गार में रखा गया और 753 समान रूप से एबल्ड इस विषेष रोज़गार कार्यालय को अधिसूचित 174 रिक्तियों के विरुद्ध प्रायोजित किये गए।

विशेष रोज़गार कार्यालय (दिव्यागों हेतु) द्वारा वित्त वर्ष 2021–22 में किये गये कार्यकलापों का विवरण सक्रिय पंजिका (अपंग कक्ष)

क्र0सं0	दृष्टिदोष दिव्यांग	श्रवण एवं वाक दिव्यांग	अस्थि दिव्यांग	अन्य	कुल
1.	2080	1467	15,558	496	19,601

क्र0सं0	पंजीकरण	अधिसूचित आरक्षित रिक्तियां	नियुक्तियों के विरुद्ध सम्प्रेषण	सेवा नियोजन	सजीव पंजिका
1.	1623	174	753	163	19,601

(च) केन्द्रीय रोज़गार कक्ष की गतिविधियां :

दिनांक 01–04–2021 से 31–03–2022 तक केन्द्रीय रोज़गार कक्ष द्वारा किये कार्य का लेखा–जोखा :

हिमाचल प्रदेश के इच्छुक युवाओं को रोज़गार उपलब्ध करवाने की कड़ी में केन्द्रीय रोज़गार कक्ष ने वर्ष 2021–22 में अपने कार्यों को विस्तार देने की कोषिष की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं की जन–षक्ति की मांग को पूरा करने के प्रयास किये गये। हिमाचल प्रदेष के दूरदराज क्षेत्रों में स्थित रोज़गार कार्यालयों में कैम्पस इन्टरव्यू (एक नियोक्ता के लिए) करवाये गये ताकि निजी क्षेत्र में कामगारों की मांग को पूरा किया जा सके। जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

वर्ष	कैम्पस इन्टरव्यू	सेवा नियोजन
2021–22	184	2340

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेष में रोज़गार मेलों (एक से अधिक नियोक्ताओं के लिए) का आयोजन किया गया है जिसका ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

वर्ष	रोज़गार मेलों की संख्या	सेवा नियोजन
2021–22	05	1246

हिमाचल प्रदेश में स्थापित उद्योगों तथा हाईड्रोइलैक्ट्रिक प्रोजैक्टों में हिमाचलियों को 70 प्रतिशत रोज़गार की मोनिटरिंग.–विभाग के क्षेत्रीय रोज़गार अधिकारी/जिला रोज़गार अधिकारी/श्रम अधिकारी तथा श्रम निरीक्षकों को निर्देष जारी किये गये हैं कि वे अपनी सामान्य निरीक्षण प्रक्रिया के दौरान उद्योगों तथा जल विद्युत परियोजनाओं में 70 प्रतिषत हिमाचलियों को रोज़गार के विषय को भी देखेंगे। जिन उद्योगों तथा जल विद्युत

परियोजनाओं में 70 प्रतिषत से कम हिमाचलियों को रोज़गार दिया गया है उनकी सूचना उद्योग विभाग तथा एम0पी0पी0 एण्ड पावर विभाग को भेजी जाती है। 01—04—2021 से 31—03—2022 तक 420 उद्योगों, जिनमें 70 प्रतिशत से कम हिमाचलियों को रोजगार दिया गया है की सूचना उद्योग विभाग को भेजी गई है।

(छ) रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम :

रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोज़गार कार्यालय सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के रोज़गार से सम्बन्धित सूचना नियमित रूप से एकत्रित करते हैं। रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेष में जिला स्तर पर रोज़गार के आंकड़े वर्ष 1960 से एकत्रित किए जा रहे हैं। यह कार्यक्रम भारतीय अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र को ही व्यक्त करता है। जो कि अन्य बातों के साथ—साथ सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों व निजी क्षेत्रों के उन नियोक्ताओं जिनके पास 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और कृषि कार्यक्रम से सम्बन्धित नहीं हैं, उनसे यह सूचना एकत्रित की जाती है। रोज़गार के आंकड़े सार्वजनिक क्षेत्र के सभी नियोक्ताओं और निजी क्षेत्र के उन नियोक्ताओं जिनके पास 25 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, और जो कृषि व्यवसाय से सम्बन्धित नहीं हों, से आंकड़े रोज़गार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा उसके अन्तर्गत नियम, 1960 के तहत एकत्रित किये जाते हैं। रोज़गार के आंकड़े निजी क्षेत्र के छोटे प्रतिष्ठानों, जिसके पास 10 से 24 कर्मचारी कार्यरत हैं, से स्वैच्छिक आधार पर एकत्रित किए जाते हैं। इस विभाग द्वारा यह भी सुनिष्चित किया जा रहा है, कि हिमाचल प्रदेष में स्थापित निजी क्षेत्र की इकाइयों में अधिक से अधिक हिमाचली युवाओं को रोज़गार प्राप्त हो। रोज़गार कार्यालय द्वारा निजी क्षेत्र की विषेषकर नई इकाइयों से सम्पर्क स्थापित किया जाता है, व उन्हें रोज़गार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 तथा नियम, 1960 के अन्तर्गत अनिवार्य रूप से रिक्तियों को अधिसूचित करने बारे सूचित किया जाता है। इस अवधि के दौरान हिमाचल प्रदेष में सार्वजनिक क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र के कुल 247 निरीक्षण किए गए हैं।

निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	कुल निरीक्षण
127	120	247

रोज़गार बाज़ार सूचना कार्यक्रम के अन्तर्गत रोजगार की स्थिति का विषलेषण विभाग द्वारा समय—समय पर भारत सरकार को भेजी गई विवरणियों में किया गया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

अवधि त्रैमासान्त	प्रतिष्ठानों की संख्या		अनुमानित रोजगार	
	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र
त्रैमासान्त मार्च/2020	4,407	1,814	2,75,526	1,83,293
त्रैमासान्त मार्च/2021	4,417	1,824	2,79,365	1,95,791

सार्वजनिक क्षेत्र के पांच अंगों में त्रैमासान्त मार्च 2021 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोज़गार

अवधि त्रैमासान्त	केन्द्रीय सरकार		राज्य सरकार		अर्ध—सरकारी केन्द्रीय		अर्ध—सरकारी राज्य		स्थानीय नियोक्ता	
	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठान संख्या	अनुमानित रोजगार
मार्च/20	128	11,126	2,941	1,96,783	794	20,093	480	44,062	64	3,462
मार्च/21	120	12,514	2,939	1,94,778	806	26,220	490	43,446	62	2,407

निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2021 में नियोक्ताओं की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

अवधि त्रैमासान्त	अधिनियमित संस्थान	लघु संस्थान
	25 या अधिक कर्मचारी वाले संस्थान	10 से 24 कर्मचारियों वाले संस्थान

	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	प्रतिष्ठानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
त्रैमासान्त मार्च/20	1,154	1,72,443	660	10,850
त्रैमासान्त मार्च/21	1,162	1,83,801	662	11,990

सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में त्रैमासान्त मार्च 2021 में औद्योगिक वर्गीकरण में संस्थानों की संख्या एवं अनुमानित रोजगार

क्र0 सं0	व्यवसाय	सार्वजनिक क्षेत्र		निजी क्षेत्र	
		संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार	संस्थानों की संख्या	अनुमानित रोजगार
1	2	3	4	5	6
1.	कृषि, षिकार, वानिकी, मत्स्य षिकार एवं पषु व्यवसाय।	153	15482	8	541
2.	खनिज एवं खाद्य	6	218	1	69
3.	उत्पादन	46	1582	26	1996
4.	विद्युत, गैस एवं जल	164	32912	57	18218
5.	निर्माण	137	35170	1079	147742
6.	थोक, व्यक्तिगत एवं घर–गृहस्थी सामान एवं परचून व्यापार।	28	652	38	1059
7.	यातायात एवं भण्डार	37	7522	9	756
8.	होटल एवं रेस्तरां	14	743	182	5056
9.	सूचना एवं संचार	28	6794	22	282
10.	वित्तीय बीमा	896	17919	40	1832
11.	असली सम्पदा, व्यवसायिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्यकलाप।	132	8830	1	30
12.	लोक प्रषासन, रक्षा, सामाजिक एवं व्यक्तिगत समस्याएं।	657	49673	2	115
13.	षिक्षा	1853	78137	339	17694
14.	स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य	215	23440	20	401
15.	कला, मनोरंजन, अन्य समाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं।	51	291	0	0
	कुल ..	**4,417**	**2,79,365**	**1,824**	**1,95,791**

विवरण–1

वर्ष 2021–22 के दौरान संगठित क्षेत्र में रोज़गार के त्वरित अनुमान

त्रैमासान्त मार्च 2021 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
2,79,365	1,95,791	4,75,156	4,58,819

विवरण–2

औसत महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2021 को कुल रोज़गार			त्रैमासान्त दिसम्बर 2020 को कुल रोज़गार
सार्वजनिक क्षेत्र	निजी क्षेत्र	कुल	
75,116	33,087	1,08,203	1,04,669

विवरण–3

कुल औसत तुलनात्मक रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2021 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिषत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2020 को कुल रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2021 को कुल रोज़गार	
4,58,819	4,75,156	3.5

विवरण–4

औसत तुलनात्मक महिला रोज़गार

त्रैमासान्त मार्च 2021 को कुल रोज़गार		गत वर्ष के त्रैमास के अनुसार वर्तमान त्रैमासान्त में प्रतिषत परिवर्तन
त्रैमासान्त 31–03–2020 को कुल महिला रोज़गार	त्रैमासान्त 31–03–2021 को महिला रोज़गार	
1,04,669	1,08,203	3.3

3. रोज़गार प्राप्ति उपरान्त सेवाएं

श्रम कानूनों जिनकी संख्या 28 (केन्द्रीय एवं राज्य) है, के तहत विभिन्न संस्थानों में कार्यरत कामगारों की सेवा षर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा तथा कारखानों में औद्योगिक षान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध से सम्बन्धित सेवाएं प्रदान करना.–यह सेवाएं श्रम विभाग के श्रम खण्ड के माध्यम से प्रदान की जाती हैं।

————————

अध्याय–4

श्रम तथा श्रम कल्याण

श्रम एवं रोज़गार विभाग द्वारा चलाये गये कार्यक्रमों की सुविधा के लिये विभागों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। श्रम खण्ड में श्रमिकों के कल्याण और रोज़गार खण्ड में रोज़गार कार्यालयों की गतिविधियां हैं, जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार से है:–

श्रम खण्ड.––हिमाचल प्रदेष में श्रम खण्ड का कार्य, 27 केन्द्रीय तथा 2 राज्य श्रम अधिनियमों एवं उनके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों को प्रदेष में लागू करना है। इन श्रम कानूनों में कारखानों, विभिन्न संस्थानों एवं विभिन्न निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों की सेवा षर्तों, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा इत्यादि के विस्तृत रूप में प्रावधान किये गये हैं। इन कारखानों/संस्थानों में औद्योगिक षान्ति, सौहार्दपूर्ण औद्योगिक सम्बन्ध, गुणवत्ता, उत्पादकता को सुनिष्चित करने और इन क्षेत्रों में विकास/उन्नति सुनिष्चित करने के भी प्रावधान किये गये हैं। कामगारों को सक्षम सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन प्राप्त हो, बाल श्रमिक एवं बन्धुआ मज़दूरी पर रोक लगे, इस सम्बन्ध में भी प्रावधान हैं। इन सबको सुनिष्चित करने के लिये श्रम विभाग के अधिकारी एवं निरीक्षक समय–समय पर निरीक्षण करते हैं, अवहेलना करने वालों के विरुद्ध सक्षम न्यायालयों में अभियोग चलाये जाते हैं। औद्योगिक षान्ति बनाये रखने के लिये कामगारों एवं संस्थान मालिकों/प्रबन्धकों के मध्य हस्तक्षेप करते हैं एवं उचित परामर्ष देते हैं तथा जो भी षिकायतें विभिन्न स्तर पर प्राप्त होती हैं उनका निवारण भी करते हैं। श्रम खण्ड में ही कारखाना षाखा भी है जिसके द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 एवं उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अन्तर्गत कारखानों का पंजीकरण, नवीनीकरण और कामगारों की सुरक्षा, दुर्घटनाएं रोकने और उनकी सेवा शर्तों का कार्यान्वयन, सुनिष्चित किया जाता है।

औद्योगिक सम्बन्ध तथा सामान्य श्रम स्थिति.––औद्योगिक सम्बन्धों का महत्वपूर्ण स्थान है। औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि तब तक पूर्ण रूप से नहीं हो सकती है, जब तक मालिकों और श्रमिकों में सहयोग

एवं मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध न हों। औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत समझौता व्यवस्था, औद्योगिक विवादों को रोकने तथा निपटाने में और औद्योगिक शान्ति स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण साधन है। 10 जिला मुख्यालयों पर स्थित श्रम अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त श्रम अधिकारी (परियोजना) रामपुर बुषैहर और श्रम अधिकारी बद्दी को भी अपने–अपने क्षेत्र के लिये समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। प्रदेष के अन्य जिलों में जहां श्रम अधिकारी के पद सृजित नहीं हैं वहां पर जिला रोज़गार अधिकारियों को समझौता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जहां पर कामगारों की संख्या 200 या उससे कम हो, श्रम निरीक्षक भी समझौता अधिकारी के रूप में औद्योगिक विवादों को निपटाने का कार्य करते हैं। जहां पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा औद्योगिक विवादों का समझौता न हो पाये, वहां पर श्रम अधिकारी, उप–श्रमायुक्त / संयुक्त–श्रमायुक्त और श्रमायुक्त औद्योगिक विवादों को निपटाने में हस्तक्षेप करते हैं। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 3 के अन्तर्गत, जहां पर 100 या इससे अधिक कामगार कार्यरत हों, उन संस्थानों द्वारा वर्क्स कमेटी का गठन करना अनिवार्य है। ये वर्कस कमेटियां भी औद्योगिक षान्ति बनाने में सहायक सिद्ध होती हैं। इन कमेटियों में प्रबन्धकों और कामगारों के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। सामान्यतः वर्ष **2021–22** में हिमाचल प्रदेष की श्रम स्थिति संतोषजनक रही है।

31–03–2022 तक श्रम खण्ड में विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत कुल पंजीकृत संस्थानों की संख्या और उनमें कार्य कर रहे प्रस्तावित कर्मचारियों का ब्यौरा निम्नलिखित हैः–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	पंजीकृत संस्थानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5,306	3,68,300
2.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	136	7,418
3.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1,443	20,641
4.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	9	227
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार अधिनियम, 1979		
	(क) प्रमुख नियोक्ता	51	10,099
	(ख) ठेकेदार	96	3,308
6.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970		
	(क) प्रमुख नियोक्ता	18,92	2,16,167
	(ख) ठेकेदार	13,351	2,66,200
7.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952	23,363	17,28,643
8.	कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948	13,325	3,10,200

सांख्यिकीय विवरण

श्रम खण्ड की वित्तीय वर्ष 2021–22 तक की उपलब्धियों / कार्यों का ब्यौरा नीचे दी गई तालिकाओं पर वर्णित है। विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत किए निरीक्षणों, सक्षम न्यायालयों में दायर अभियोगों की संख्या, न्यायालय द्वारा निर्णित अभियोगों की संख्या एवं दण्डित किये जाने पर जुर्माने की राशि का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :–

तालिका–1

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	01–4–2021 से 31–3–2022 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	01–4–2021 से 31–3–2022 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	01–4–2021 से 31–3–2022 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	999	26	34	6,23,000
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	5561	280	305	6,89,300
3.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	668	4	7	20,000

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	01–4–2021 से 31–3–2022 तक किये गये निरीक्षणों की संख्या	01–4–2021 से 31–3–2022 तक न्यायालय में दायर किये गये चालानों की संख्या	01–4–2021 से 31–3–2022 तक न्यायालय द्वारा निर्णित मामलों की संख्या	जुर्माने की राशि (रुपये) में
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	3597	73	120	1,51,700
5.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	3655	82	134	3,74,500
6.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	2	0	0	0
7.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	912	15	48	64,500
8.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	1046	06	08	13,500
9.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	1265	21	30	3,23,000
10.	औद्योगिक रोज़गार (स्थाई आदेष) अधिनियम, 1946	329	0	0	0
11.	हिमाचल प्रदेष औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाष आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाश) अधिनियम, 1969	986	2	2	2,000
12.	मोटर ट्रांसपोर्ट वर्करज़ अधिनियम, 1961	22	1	0	0
13.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	103	2	3	3,000
14.	बाल एवं किषोर श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	2522	4	8	1,33,000
15.	समान वेतन अधिनियम, 1976	724	10	8	39,000
16.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेषन ऑफ एम्प्लायमैंट एण्ड कंडीषन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	463	4	3	4,000
17.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की षर्तें) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0	0	0	0
	कुल ..	**22,854**	**530**	**710**	**24,40,500**

तालिका–2
उपादान अदायगी अधिनियम, 1972

क्रमांक	31–3–21 तक के पिछले अनिर्णित मामले	01–04–2021 से 31–03–2022 तक प्राप्त मामले	कुल मामलों की संख्या (खाना संख्या 2 एवं 3)	31–3–2022 तक निर्णित मामलों की संख्या	31–3–2022 तक अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6
(क) नियन्त्रक अधिकारियों द्वारा	421	356	777	230	547

निपटाए गए मामले।					
(ख) एपीलेट अथोरिटी द्वारा निपटाई गई अपीलों का ब्यौरा।	21	47	68	28	40

तालिका–3
औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

क्रमांक	31–3–2021 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या	1–4–2021 से 31–3–2022 तक प्राप्त मांग पत्रों की संख्या	कुल मांग पत्रों की संख्या खाना संख्या (2 एवं 3)	समझौते के दौरान धारा 12(3) के तहत निपटाये गये मामले	असफल मामलों की संख्या जो 12(4) के अधीन भेजे गये	31–3–2022 को लम्बित मांग पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	358	924	1282	526	417	339

तालिका–4
औद्योगिक रोज़गार (स्टैंडिंग आर्डरज़) अधिनियम, 1946

क्रमांक	अधिनियम का नाम औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेश) अधिनियम, 1946 अधिनियम के तहत आने वाले संस्थान	स्टैंडिंग आर्डरज़ जिनको 31–03–2022 तक प्रमाणित करवा लिया गया है
1.	2653	424

तालिका–5
हि0 प्र0 दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969

क्रमांक	अधिनियम के अधीन बाज़ारों की संख्या	31-3-2022 के अन्त में दुकानों की संख्या	प्रस्तावित कामगारों की संख्या	31–3–22 के अन्त में वाणिज्य संस्थानों की संख्या	31–3–2022 तक कामगारों की संख्या	31-3-2022 तक कुल संस्थानों की संख्या	31–3–2022 के कुल प्रस्तावित कामगारों की संख्या
1.	121	85,121	39,228	20,858	33,548	1,05,979	72,776

तालिका–6
निम्न अधिनियमों में प्राप्त शिकायतें

क्रमांक	अधिनियम का नाम	31–3–2021 को लम्बित शिकायतों की संख्या	1–4–2021 से 31–3–22 तक प्राप्त शिकायतों की संख्या	योग (खाना संख्या 3 एवं 4)	श्रम निरीक्षकों द्वारा निर्णित शिकायतों की संख्या	श्रम निरीक्षकों द्वारा भुगतान करवाई गई धनराशि (रु0) में	लाभान्वित कामगारों की संख्या	31–3–2022 को अनिर्णित मामलों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	569	1262	1831	1346	2,32,22,508	1552	485
2.	हि. प्र. दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	0	0	0	0	0	0	0
3.	हि. प्र. लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रमिकों का विनियम	9	0	9	0	0	0	9
4.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	0	0	0	0	0	0	0

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947

औद्यौगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत निदेषालय स्तर पर 31–03–2021 को 181 विवाद सन्दर्भ हेतु लम्बित थे। वित्त वर्ष 2021–22 (01–04–2021 से 31–03–2022) के दौरान 348 विवाद उक्त अधिनियम की धारा 12(4) के अन्तर्गत निदेषालय में प्राप्त हुए, अतः कुल विवाद 529 हो गए। इस वित्त वर्ष (01–04–2021 से 31–03–2022) के दौरान 388 मामले विभिन्न श्रम न्यायालयों को निर्णय हेतु भेजे गए तथा तथा उक्त अधिनियम की धारा 12(5) के अन्तर्गत 18 निरस्त किए गए, तथा 31–03–2022 को 123 मामले शेष हैं।

भाग–I

01–04–2021 से 31–03–2022 तक विभाग द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के तहत अर्जित आय का ब्यौराः

क्र0 सं0	अधिनियम का नाम	01–04–21 तक संस्थानों की संख्या	वर्ष के दौरान पंजीकृत संस्थानों की संख्या	पंजीकरण शुल्क एकत्रित (रु0 में)	वर्ष के दौरान नवीनीकृत संस्थानों की संख्या (यदि कोई हो)	लाईसैंस/ नवीनीकरण शुल्क एकत्रित (रु0 में)	अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उल्लंघन पर एकत्रित जुर्माना (रु0 में)	वर्ष के अन्त में पंजीकृत संस्थानों की संख्या	कुल राशि एकत्रित (रु0 में) (कॉलम 3 + कॉलम 5+ कॉलम 6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	कारखाना अधिनियम, 1948	5275	31	0	0	0	447000	5306	447000
2.	दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम, 1969	103837	4883	2759860	2938	1543866	357600	105782	4661326
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	6558	7289	368245	559	569122	50500	13288	987867
4.	मोटर टांसपोर्ट वर्करज अधिनियम, 1961	136	0	0	0	0	0	136	0
5.	अन्तर्राज्य प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	22	29	3091	0	0	3000	51	6091
6.	ट्रेड यूनियन्ज अधिनियम, 1926	1422	21	105	0	0	0	1443	105
7.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	10	0	0	0	0	0	9	0
8.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगूलेशन ऑफ एम्प्लॉयमैंट एण्ड कन्डीशन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	1748	42	44950	10	1400	0	1780	46350
	कुल भाग-I ..	**119008**	**12295**	**3176251**	**3507**	**2114388**	**858100**	**127795**	**6148739**

भाग–II

क्र0सं0	अधिनियम का नाम	अर्जित आय
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	126700
2.	वेतन भुगतान अधिनियम, 1936	354000
3.	बोनस भुगतान अधिनियम, 1965	10500
4.	उपादान भुगतान अधिनियम, 1972	247000
5.	औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेष) अधिनियम, 1946	0
6.	हिमाचल प्रदेष औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय त्यौहार के अवकाष आकस्मिक एवं चिकित्सा अवकाष) अधिनियम, 1969	0
7.	बाल श्रमिक (निषेद्ध एवं विनियम) अधिनियम, 1986	117000

8.	भवन एवं सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेषन ऑफ एम्प्लॉयमैंट एण्ड कंडीषन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	11658960
9.	भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996	0
10.	प्रसूति लाभ अधिनियम, 1961	13000
11.	श्रमजीवी और अन्य समाचार पत्र कर्मचारी (सेवा की ष्षर्त) विविध प्रावधान अधिनियम, 1955	0
12.	औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947	0
13.	समान वेतन अधिनियम, 1976	21000
	कुल (भाग–II)	**12548160**

भाग–III

अधिनियम का नाम	कुल एकत्रित राशि (रु0 में)
भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अर्जित आय	**398682629**
कुल (भाग–III)	398682629
कुल (भाग–I)	6148739
कुल (भाग–II)	12548160
कुल (भाग–I +भाग–II + भाग–III)	**417379528**

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित बोर्ड और समितियों का समय–समय पर गठन किया जाता है :–

क्रमांक	अधिनियम का नाम	बोर्ड / समिति का नाम	गठन का उद्देश्य
1.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संषोधन / पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्ष देना
2.	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948	न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति	न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अधीन अनुसूचित व्यवसायों में न्यूनतम वेतन दरों में संषोधन / पुनः निर्धारण बारे में सरकार को परामर्ष देना
3.	श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970	राज्य सलाहकार श्रम ठेका बोर्ड	ठेकेदारी वर्ग पद्धति पर जहां पर सम्भव हो सके, रोक लगाना, और जहां रोक लगाना सम्भव न हो, इस प्रथा का विनियम करना और इस सम्बन्ध में अपनी सिफारिषें सरकार को देना
4.	बन्धुआ मजदूर (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1976	जिला तथा सभी उप–मण्डल स्तरों पर सतर्कता समितियां	बन्धुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करना उन्मूलन / पुनर्वास सम्बन्धित कार्यवाही
5.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेषन ऑफ एम्प्लॉयमैंट एण्ड कन्डीषन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय बोर्ड	हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए हि0 प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड का गठन किया गया है

6.	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगारों (रैगुलेषन ऑफ एम्प्लॉयमैंट एण्ड कन्डीषन ऑफ सर्विस) अधिनियम, 1996	राज्य स्तरीय समिति	इस अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा समिति का गठन किया गया है जो समय–समय पर राज्य सरकार को परामर्ष देगी।

न्यूनतम वेतन

न्यूनतम वेतन निर्धारण व पुनः निर्धारण, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत होता है। हिमाचल प्रदेष सरकार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार समय–समय पर न्यूनतम वेतन सलाहकार बोर्ड एवं न्यूनतम वेतन सलाहाकार समिति का पुनर्गठन करती रही है। इसका उद्देश्य सरकार को विभिन्न व्यवसायों में न्यूनतम वेतन की दरों में निर्धारण एवं संषोधन करने में परामर्ष देना है। हिमाचल प्रदेष सरकार ने 19 अधिसूचित व्यवसायों में कार्यरत विभिन्न श्रेणी के श्रमिकों के वेतन में वित्तीय वर्ष **2021–22** में न्यूनतम वेतन सलाहकार समिति के परामर्ष के पश्चात् समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुषल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर **300/– रु०** प्रतिदिन या **रु० 9000**/– प्रतिमाह प्रथम अप्रैल, 2021 से निर्धारित किया है, जो कि पिछले न्यूनतम वेतन से **25** रुपए अधिक है। अर्ध–कुषल, कुषल तथा उच्च–कुषल कामगारों के वेतन में भी **25** रुपए प्रतिदिन की दर से बढ़ौतरी की गई है जो कि **01–04–2021** से लागू है। वर्ष 2022–23 की बजट घोषणा के अनुसार समस्त अनुसूचित व्यवसायों में अकुषल श्रमिकों के वेतन की न्यूनतम दर रु0 **300**/– से बढ़ा कर **350**/– प्रतिदिन या **रु0 10500/–** की दर से पुनर्निर्धारित की गई है जिसकी अधिसूचना सरकार द्वारा कर दी गई है। यह दर बढ़ौतरी अर्ध–कुषल, कुषल तथा उच्च कुषल कामगारों को **01–04–2022** से देय है। जिन अनुसूचित व्यवसायों में बढ़ौतरी की है वे निम्न प्रकार से हैः–

1. कृषि
2. सड़क और भवन निर्माण पत्थर पिसाई क्रषिंग/पत्थर तुड़ान
3. फौरेस्टरी एवं टिम्बरिंग ऑप्रेषन
4. पब्लिक मोटर ट्रांसपोर्ट
5. दुकान एवं वाणिज्य संस्थानों के व्यवसाय
6. रसायन एवं रसायन उत्पाद
7. इन्जीनियरिंग उद्योग
8. चाय बागान
9. विनिर्माण क्रिया में नियोजन जो कि कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा–2 के खण्ड (क) में परिभाषित।
10. होटल/रेस्तरां
11. निजी षैक्षणिक संस्थान
12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं
13. फार्मास्यूटिकल उद्योग
14. अस्पताल, नर्सिंग होम एवं क्लिनिक
15. घरेलू कामगार
16. सफाई कर्मचारी नियोजन
17. सुरक्षा सेवाएं

18. मंदिर और धार्मिक स्थान/धर्मषालाएं

19. टोल टैक्स बैरियरों में कार्यरत कामगार

20. इसके अतिरिक्त सुरंग के अन्दर कार्यरत कामगारों की मजदूरी की न्यूनतम वेतन की दरों पर 20 प्रतिषत बढ़ौतरी देय है।

21. हिमाचल प्रदेष के गैर जन–जातीय क्षेत्रों में 'निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं' में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिषत की बढ़ौतरी देय है।

22. हिमाचल प्रदेष के जन–जातीय क्षेत्रों में कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन पर 25 प्रतिशत की बढ़ौतरी देय है। अगर निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाएं जन–जातीय क्षेत्र में है तो इसमें कार्यरत सभी श्रेणी के कामगारों को न्यूनतम वेतन दरों पर 10 प्रतिषत अतिरिक्त बढ़ौतरी देय है।

23. महिला–पुरुष कामगारों को समान कार्य के लिए (व्यस्क या अव्यस्क) एक समान वेतन निर्धारण किया गया है।

उपरोक्त सभी अनुसूचित व्यवसायों में कार्यरत कामगारों को न्यूनतम वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने श्रम खण्ड के अधिकारियों एवं निरीक्षकों के अतिरिक्त समस्त तहसीलदारों (महाल) एवं जिला रोजगार अधिकारियों को तथा सांख्यिकीय सहायक (श्रम) को भी "निरीक्षक" नियुक्त किया है। यदि निरीक्षक स्तर पर न्यूनतम वेतन एवं वेतन भुगतान सम्बन्धी षिकायतों का समय पर निपटारा नहीं होता है तो सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीषों को न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत सुनवाई करने और निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त किया है ताकि वे न्यूनतम वेतन सम्बन्धी वेतन दावों का निपटारा कर सकें।

कामगारों को समय–समय पर देय वेतन का भुगतान सुनिष्चित करने के लिए सरकार ने अपने–अपने क्षेत्रों में सभी न्यायिक दण्डाधिकारी (मैजिस्ट्रेटों)/सिविल न्यायाधीषों को वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के अन्तर्गत प्राधिकारी नियुक्त किया है, जिसके फलस्वरूप प्रभावित कामगार अपनी षिकायत दायर करके निपटारा करवा सकते हैं।

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाना

बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिये योजना बनाई गई है। बन्धुआ मजदूर अधिनियम, 1976 की धारा 13 के अन्तर्गत सभी जिला तथा उपमण्डल स्तर पर बन्धुआ मजदूरी से सम्बन्धित षिकायतों का निपटारा करने के लिए सतर्कता समितियों का गठन किया गया है। इन समितियों की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेष के किसी भी जिले में इस वर्ष बन्धुआ मजदूर का कोई भी मामला नहीं पाया गया है।

बाल एवं किशोर श्रमिकों का उन्मूलन कार्यक्रम

हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा बाल एवं किषोर श्रमिक प्रथा के उन्मूलन के लिए प्रदेष के 10 अन्य विभागों के अधिकारियों को बाल श्रमिक अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत निरीक्षक की शक्तियां प्रदान की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रम सं0	अधिकारी का नाम/पद	विभाग का नाम
1	2	3
1.	समस्त उप–मण्डल अधिकारी, हि0प्र0	राजस्व
2.	आयुक्त नगर निगम, षिमला	स्थानीय निकाय
3.	समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
4.	समस्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार, हि0 प्र0	राजस्व
5.	समस्त महाप्रबन्धक/प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र, हि0 प्र0	उद्योग
6.	समस्त श्रम अधिकारी, हि0 प्र0	श्रम एवं रोजगार

7.	समस्त जिला रोजगार अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
8.	समस्त कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् / नगर पंचायत हि0 प्र0।	स्थानीय निकाय
9.	समस्त हैड कांस्टेबल एवं उससे उपर के पुलिस अधिकारी, हि0 प्र0।	पुलिस
10.	समस्त जिला / तहसील कल्याण अधिकारी, हि0 प्र0	समाजिक न्याय एवं अधिकारिता
11.	समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
12.	समस्त बाल विकास एवं परियोजना अधिकारी, हि0 प्र0	–उक्त–
13.	समस्त पंचायत निरीक्षक, हि0 प्र0	आर.डी. व पंचायती राज
14.	समस्त जिला / सहायक पर्यटन विकास अधिकारी, हि0 प्र0	पर्यटन
15.	स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम	स्थानीय निकाय
16.	समस्त जिला / सहायक खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति
17.	समस्त माप एवं तोल निरीक्षक, हि0 प्र0	माप एवं तोल
18.	आबकारी एवं कराधान अधिकारी / आबकारी निरीक्षक, हि0 प्र0	आबकारी एवं कराधान

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996

भवन व अन्य सन्निर्माण गतिविधियों में कार्यरत मजदूरों के कल्याण हेतु सरकार ने राज्य में भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेष भवन व अन्य निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियम) नियम, 2008 बनाये हैं, जिन्हें दिनांक 4–12–2008 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा–18 के अन्तर्गत भवन व अन्य निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के कल्याण हेतु हि0 प्र0 भवन व अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन दिनांक 5–3–2009 को किया गया है। यह बोर्ड भवन व निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को पैंषन सुविधा, प्रसूती लाभ, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु अग्रिम राषि, अपंगता पैंषन, औजार खरीदने हेतु ऋण, अन्तिम संस्कार सहायता, मृत्यु प्रसुविधा लाभ, चिकित्सा सहायता, षिक्षा हेतु वित्तीय सहायता, षादी हेतु वित्तीय सहायता, पारिवारिक पैंषन एवं व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकारों के लिए पारगमन आवास सुविधा और महिला कामगार लाभार्थी के स्वयं पति / पत्नी और दो बच्चों तक कौषल विकास भत्ता इत्यादि कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्रदान करता है। भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 और उसके अन्तर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाये गये हैं। इस अधिनियम के अनुसार जो भी भवन व अन्य सन्निर्माण सम्बन्धित कार्य होंगे उनके कुल व्यय का 1 प्रतिषत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड में जमा होगा तथा इस कल्याण निधि से उपरोक्त लाभकारी योजनाओं का संचालन सुनिष्चित किया जाता है। प्रत्येक कामगार जिसने पूर्व 12 मास के दौरान 90 दिन या अधिक दिनों तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य किया हो वह बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं और जिस कामगार ने पिछले 12 मास के दौरान 90 दिन या उससे अधिक मनरेगा में कार्य किया हो वह भी बोर्ड के साथ पंजीकृत होने एवं लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं।

कामगारों को पहचान पत्र प्रदान करना

श्रम विभाग, हिमाचल प्रदेष सरकार द्वारा सुनियिचत किया जा रहा है कि सभी औद्योगिक इकाइयों व निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं में कामगारों व ठेका श्रमिकों को कारखाना व परियोजना के प्रबन्धक पहचान–पत्र कामगारों को जारी कर रहे हैं जिनका सत्यापन सम्बन्धित श्रम अधिकारी द्वारा किया जाता है। पहचान–पत्रों को प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेष न्यूनतम वेतन नियम, हिमाचल प्रदेष श्रम ठेका नियम, हिमाचल प्रदेष अन्तर्राज्य प्रवासी कामगार नियम तथा औद्योगिक रोजगार (स्थाई आदेष) नियम में संषोधन किया गया है जिसमें कामगारों को पहचान–पत्र जारी करना सुनिश्चित किया गया है।

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952

क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय, षिमला में स्थित है। इस योजना के अन्तर्गत कारखाने तथा संस्थानों के कर्मचारियों द्वारा आवश्यक भविष्य निधि में अंषदान का प्रावधान है। यह अधिनियम उन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है, जिन कारखानों व प्रतिष्ठानों में कामगारों की संख्या 20 या इससे अधिक है तथा **15000/–** रुपये मासिक वेतन वाले कर्मचारी इस योजना के अन्तर्गत षामिल किये जाते हैं। उक्त अधिनियम के प्रावधान हिमाचल प्रदेष में **23,363** औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा **17,28,643** कामगारों को उक्त अधिनियम के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान कि जा रही है। यह सूचना क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि के कार्यालय, षिमला द्वारा प्रदान की गई है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन क्षेत्रीय कर्मचारी भविष्य निधि आयुक्त, हिमाचल प्रदेष द्वारा किया जाता है।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948

क्षेत्रीय निदेषक ई0एस0आई0 कॉरपोरेषन का कार्यालय बद्दी (ई0एस0आई0 कॉम्पलैक्स) में स्थित है। यह अधिनियम योजना में लाये गये कर्मचारियों और उनके परिवारों को बीमारी में निषुल्कः चिकित्सा और प्रसुति तथा व्यवसाय के कारण अपंगता व मृत्यु हो जाने पर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। यह अधिनियम साल भर चलने वाले उद्योगों, जहां पर 20 या उससे अधिक श्रमिक कार्य करते हैं, पर लागू है। यह खानों तथा रेलवे शैडों में लागू नहीं होता। जिन श्रमिकों का मासिक वेतन **21,000/–** रुपये व इससे कम है वह इसके अन्तर्गत आते हैं। यह योजना कर्मचारियों व मालिकों के अंषदान से चलाई जाती है तथा कुल व्यय का 1/8 भाग प्रदेष सरकार देती है। यह योजना हिमाचल प्रदेष के सात जिलों षिमला, सोलन, सिरमौर, मण्डी, ऊना, बिलासपुर तथा कांगड़ा में लागू है। कर्मचारी राज्य बीमा योजना अधिनियम, 1948 के प्रावधान हिमाचल प्रदेष में **13,325** औद्योगिक संस्थानों में लागू है तथा **3,10,200** कामगारों को उक्त अधिनियमों के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस अधिनियम का कार्यान्वयन ई0एस0आई0सी0 द्वारा किया जाता है।

कामगारों के लिए शिक्षा योजना

हिमाचल प्रदेष में कार्यरत कामगारों को षिक्षा देने का कार्य क्षेत्रीय निदेषक, केन्द्रीय कामगार षिक्षा बोर्ड, परवाणु द्वारा किया जाता है। श्रमायुक्त, हिमाचल प्रदेष इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं। कामगारों को श्रम अधिनियमों एवं नियमों में निहित सेवा षर्तें, सुरक्षा, कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अवगत करवाना तथा उत्पादकता, औद्योगिक सम्बन्ध और दायित्व एवं कर्त्तव्यों के बारे में षिक्षित करना आवष्यक है। कामगारों को उनके कर्त्तव्यों व अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिये केन्द्रीय संचालित योजना के अधीन षिक्षित किया जाता है। कामगारों को षिक्षित करके दोहरे लाभ की आषा की जा सकती है। एक तो इससे कार्यकुषलता व उत्पादन को बढ़ावा मिलता है तथा साथ ही यह षिक्षा दी जाती है कि वे कामगार संगठनों में अपनी भलाई के लिये कारगर रूप में इस तरह से काम करें कि उनको अधिकतम लाभ हो।

असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पैंशन योजना

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पैंषन योजना असंगठित क्षेत्र के कामगारों के कल्याण के लिए 15 फरवरी, 2019 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई। इस योजना का विधिवत उद्घाटन हिमाचल प्रदेष के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 5 मार्च, 2019 को मण्डी में राज्य स्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए योजना को षुरू करने की विधिवत घोषणा की गई। पात्र लाभार्थियों को जागरूकता षिविरों के माध्यम से ब्रोषर प्रदान कर उन्हें लोक मित्र केन्द्रों में मुफ्त पंजीकरण करवाने का आग्रह किया गया और उक्त पैंषन योजना को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाषित किया गया। आठ क्षेत्रीय भाषाओं में जिंगल के माध्यम से भी हिमाचल प्रदेष के समाचार चैनलों द्वारा प्रसारित कर योजना पर प्रकाष डाला गया। दिनांक 31–03–2022 तक असंगठित क्षेत्र में 44174 श्रमिकों को प्रधानमंत्री पैंषन योजना के तहत पंजीकृत किया गया है।

योजना की पात्रताः

1. घरेलू कामगार, बोझ उठाने वाले, भट्टे पर काम करने वाले, मोची कचरा उठाने वाले, धोबी, फेरी वाले, कृषक कामगार, भवन निर्माण कार्य के कामगार, हस्तकला/हतकरघा, चर्म, आडियो/ वीडियो

कार्य/मिड–डे मील कार्यकर्ता/स्वयं रोजगार एवं मनरेगा व समान अन्य व्यवसाय में कार्यरत व्यक्ति इस योजना के पात्र हैं।

2. पंजीकरण की आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य है तथा लोक मित्र केन्द्रों में लाभार्थियों का मुफ्त पंजीकरण किया जाता है।
3. अधिकतम मासिक आय 15,000 रुपये माह या उससे कम है
4. ई0एस.आई ई.पी.एफ., आयकरदाता व पैंषन धारी पात्र नहीं हैं

योजना का लाभः

1. पंजीकृत कामगार को 60 वर्ष पूर्ण होने पर 3000/– रुपये प्रतिमाह पैंषन सुनिष्चित है
2. पंजीकृत कामगार की मृत्यु के उपरान्त उसके आश्रित पति/पत्नी को 50 प्रतिषत पैंषन

मासिक अंशदानः

1. न्यूनतम 55/– रुपये अधिकतम 200/– रुपये (आयु अनुसार)
2. मासिक अंषदान का बराबर भाग भारत सरकार द्वारा वहन किया जायेगा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान–धन पैंषन योजना की तरह एक नई योजना जिसमें लघु उद्यमी व स्व–रोजगार व्यक्तियों के लिए भी केन्द्र सरकार द्वारा एन.पी.एस.–टी (NPS-T) योजना षुरू की गई।

अध्याय–5

श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत औद्योगिक विवादों का न्यायिक निर्णय करने के लिये हिमाचल प्रदेष सरकार ने दो श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण स्थापित किये हैं। एक श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण षिमला में स्थापित है जिसका कार्यक्षेत्र जिला षिमला, किन्नौर, सोलन, सिरमौर तथा लाहौल–स्पीति का काजा उप–मण्डल है तथा दूसरा श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्याय प्राधिकरण धर्मषाला में स्थापित किया गया है जिसका कार्यक्षेत्र जिला कांगड़ा, चम्बा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मण्डी, कुल्लू तथा लाहौल–स्पीति का लाहौल भाग शामिल है। इन न्यायालयों में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीष के पद के बराबर के एक–एक स्वतन्त्र पीठासीन अधिकारी नियुक्त किये गए हैं इन न्यायालयों में निम्न अधिकारी व कर्मचारी नियुक्त किये गए हैं:–

क्रमांक	पदनाम	संख्या
1.	पीठासीन अधिकारी	2
2.	वरिष्ठ आषुलिपिक	1
3.	स्टैनो टाईपिस्ट	1
4.	वरिष्ठ सहायक–कम–रीडर	2
5.	अहलमद	3
6.	चालक	2
7.	दफ्तरी	2
8.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	3
9.	स्वीपर–कम–चौकीदार	1

इन न्यायालयों की स्थापना मजदूरों तथा प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को निपटाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अन्तर्गत की गई है। मजदूरों और प्रबन्धकों के बीच होने वाले विवादों को श्रम विभाग इन न्यायालयों एवं न्याय प्राधिकरणों को न्याय निर्णय हेतु अधिसूचित करता है। इसके अतिरिक्त कामगार देय राषि भुगतान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना–पत्र सीधे तौर पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 33 (सी) (2) के अन्तर्गत दिये गए प्रावधानों के अनुरूप श्रम न्यायालय में दायर कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेष में श्रम न्यायालयों को औद्योगिक प्राधिकरण की षक्तियों दी गई हैं जबकि कई अन्य राज्यों में श्रम न्यायालय और औद्योगिक प्राधिकरण अलग–अलग हैं। श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक प्राधिकरण, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत दावों पर भी निर्णय करता है।

उपरोक्त न्यायालय हिमाचल प्रदेष के विभिन्न जिलों एवं तहसीलों में जाकर भी प्रदेष के मजदूरों के दावों की सुनवाई करके न्याय प्रदान करते हैं क्योंकि कामगार जो दूर–दराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं, अपने मुकद्दमों की पैरवी के लिये षिमला/धर्मषाला नहीं आ सकते हैं। सरकार श्रम कानूनों को लागू करने के लिये प्रतिबद्ध है, ताकि मजदूरों को न्याय मिल सके। यह न्यायालय मजदूरों को शीघ्र एवं सस्ता न्याय देने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं।

1–4–2021 से 31–3–2022 तक श्रम न्यायालयों द्वारा किये गये कार्य का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	विवरण	सन्दर्भ	आवेदन	जोड़
1.	31–03–2021 को लम्बित मामले	1350	500	1850
2.	1–4–2021 से 31–3–2022 तक प्राप्त मामले	972	634	1606
3.	31–03–2022 तक कुल मामले	2322	1134	3456
4.	1–4–2021 से 31–3–2022 तक निपटाये गये मामले	238	487	725
5.	31–3–2022 तक लम्बित मामले	2084	647	2731

विभाग में वर्ष 1994 में विधि सहायक का पद उपलब्ध करवाया गया जो कि वर्ष 2007 में विधि अधिकारी (राजपत्रित, श्रेणी-II) के नाम से पुनः नामित किया गया। तद्नुसार निदेषालय स्तर पर एक विधि कक्ष की स्थापना की गई जो कि माननीय न्यायालय के मामलों में एवं षाखा अधिकारी की आवष्यकता अनुसार कानूनी सलाह प्रदान करने हेतु उत्तरदायी है। विभाग में विधि अधिकारी का एकमात्र पद है और उसे सरकारी स्तर पर सरकार तथा श्रम एवं रोज़गार विभाग से सम्बन्धित सभी मामलों को देखना होता है। विधि कक्ष में दिनांक 01–04–2021 से 31–03–2022 की अवधि के दौरान विभिन्न न्यायालयों से कुल 124 मामले प्राप्त हुये।

दिनांक 01–04–2021 से 31–03–2022 तक निदेशालय, श्रम एवं रोज़गार, हि० प्र० के न्यायालय में मामलों का विवरण:–

क्रमांक	माननीय न्यायालय का नाम	31–03–2021 तक प्राप्त कुल मामले	01–04–2021 से 31–03–2022 तक कुल मामले	31–03–2022 तक प्राप्त कुल मामले	31–03–2022 तक कुल निपटाये गये मामले	31–03–2022 को कुल लम्बित मामले
1.	उच्चतम न्यायालय	41	1	42	22	20
2.	हि० प्र० उच्च न्यायालय	1016	121	1137	632	505
3.	हि० प्र० प्रषासनिक प्राधिकरण	157	0	157	49	108
4.	अवर श्रेणी न्यायालय	36	2	38	6	32
	कुल	**1250**	**124**	**1374**	**709**	**665**

अध्यादेश के माध्यम से श्रम कानूनों में संशोधन

भारत सरकार के अधीन श्रम मंत्रालय के दिषा निर्देषानुसार अध्यादेष के माध्यम से निम्नलिखित केन्द्रीय श्रम कानूनों में बिनेस रिफार्म एक्शन प्लान के तहत संषोधन किया गया है तथा तत्पचात् लागू भी कर दिया गया है।

1. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
2. श्रम ठेका (विनियम एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970

कारखाना अधिनियम, 1948

औद्योगिक रोजगार (स्थायी आदेष) 1973 और संशोधन नियम, 1991 में संशोधन करके फिक्सड टर्म एम्प्लॉयमेंट को समाविष्ट करने के लिए संषोधन प्रस्ताव तैयार कर प्रषासनिक विभाग को भेजा गया है जो कि वर्तमान में राज्य सरकार के विचाराधीन है।

हिमाचल प्रदेष ईज ऑफ कम्प्लाइन्स टू मेन्टेन रजिस्टर अंडर वेरियस लेबर लॉज नियम, 2019 जो कि केन्द्र सरकार के निर्देषानुसार बनाए गए हैं जिनमें श्रम कानूनों के अन्तर्गत रजिस्टरों की संख्या को 55 से घटाकर 4 करने का प्रावधान निहित है, उसका प्रारूप प्रस्ताव प्रषासनिक विभाग को भेजा गया है जोकि आगामी कार्यवाही हेतु राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्याय–6

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 27–Labour, Employment & Training

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2021-22 (in Rs.)		Actual Expenditure 2021-22 (in Rs.)	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour, 001-Direction & Administration, 01-Staff at the Hqrs.				
		—	11584944	—	10670144
2.	01-Labour, 101-Industrial Relations, 01-Enforcement of Labour Laws				
		—	45454365		43731912
3.	01-Labour-101-Industrial Relations-02- Industrial Disputes				
		—	11166243	—	11114113
4.	01-Labour, 101-Industrial Relations, 03-Wage Board				
		—	11000	—	10633
5.	01-Labour, 102-Working Conditions & Saftey, 01-Inspectorate of Factories				
		—	1017857	—	1016257
6.	02-Employment, 001-Direction & Administration, 01-Staff at the Directorate of the Employment				
			8142122	—	8054135
7.	02-Employment, 004-Research, Survey & Statistics, 01-Collection of EMI				
		—	4602336	—	4547879
8.	02-Employment, 101-Employment Services, 01-Extension Coverage of Employment Services				
		—	94663009		93373381
9.	02-Employment, 101-Employment Services, 02-Vocational Guidance & Employment Counselling				
		—	4588508	—	3595374
10.	02-Employment, 101-Employment Services, 03-University Employment Information & Guidance Bureau.				
		—	989650	—	981720
11.	02-Employment, 101-Employment Services, 05-Special Employment Exchanges (Scheduled Castes).				
			624107	—	619427
12.	03-Training, 003-Training of Craftsman & Instructors, 09-Skill Development Allowance				

		209250000	—	206639711	—
13.	02-Employment, 800-Other Expenditure, 01-Unemployment Allowance				
		491679986	—	469377547	—
14.	2059-Minor Works-01-053-42				
		—	0	—	0
15.	2059-Minor Works-01-053-96				
		—	0	—	0
16.	4250-Capital Works				
		16096680	—	16096680	—
17.	2235-Pensioners of Labour & Employment Department.				
			2770000		2769991
	Total ..	**717026666**	**185614141**	**692113938**	**180484966**

Budget & Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 31—Tribal Development

Sl. No.	Head of Account	Sanctioned Budget 2021-22		Actual Expenditure 2021-22	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN
1.	01-Labour, 796-Tribal Area-Sub-Plan, 01-Expenditure on inforcement of Labour Laws				
		0	3412559	0	2738686
2.	02-Employment, 796-Tribal Area Sub Plan, 01-Expenditure on Employment Services				
		0	6239000	0	5838749
3.	03-Training, 796-Tribal Area Sub Plan, 06-Skill Development Allowance				
		63000000	0	3226486	0
4.	2230-Labour & Employment, 02-Employment Service, 796-Tribal Area Sub Plan, 02-Unemployment Allowance.				
		35100000	0	8093330	0
	Total ..	**98100000**	**9651559**	**11319816**	**8577435**

CENTRALLY SPONSORED SCHEMES (100% PLAN CENTRAL)

1.	02-Employment, 101-Employment Services, 04-Model Career Centre (COON)				
	Office Expenses	0	0	0	0
	Minor Works	0	0	0	0
	Rem. to Out Source	0	0	0	0
	Total ..	**0**	**0**	**0**	**0**

Budget &Actual Expenditure Statement Figures Demand No. 32—Schedule Caste Development Programme.

Sl. No.	Head of Account	Sanction Budget 2021-22		Actual Expenditure 2021-22	
		PLAN	NON-PLAN	PLAN	NON-PLAN

1.	2230-Labour and Employment, 02-Employment, 789—Schedule Caste Development Programme, 01-Unemployment Allowance Scheme (Dev. Progm) (SOON)				
		101797000	0	101060050	0
2.	03-Training, 789—Schedule Caste Development Programme, 06-Skill Development Allowance Scheme (Dev. Progm.) (SOON)				
		170832000	0	85383277	0
3.	4250-Capital Outlay,00-Expenditure on other Service, 789-Labour-01-Building				
		4021000	0	4020550	0
	Total ..	**276650000**	**0**	**190463877**	**0**

Receipt Major Head-0230 Financial Year 2021-22

Sl. No.	Head of Account	Estimated Receipt (in Rs.)	Actual Receipt (in Rs.)
1.	0230-00-101-01 Under Labour Laws	28000	70639
2.	0230-00-102-01 Regn. of Trade Union	12000	1811
3.	0230-00-104-01 Fees Under Factory Act	47394000	31869775
4.	0230-00-106-001 Fees Under Contract Labour Act	907000	1154427
5.	0230-00-800-01 Fees Under Motor Transport Act	227000	153466
6.	0230-00-800-02 Fees Under Shops & Comm. Establishment Act.	6804000	5694865
7.	0230-00-800-05 Recovery of Over Payment	567000	156221
8.	0230-00-800-07-Others Misc. Recovery	1134000	1489392
9.	0230-00-800-11 Fine under BOCW Act	6717000	60442838
10.	0230-00-800-10-Cess	170000	5689
11.	Fine Imposed under BOCW Act	283000	0
	Total ..	**64243000**	**101039123**

अध्याय–7

RIGHT TO INFORMATION

Government of Himachal Pradesh

Department of Labour & Employment

No. Shram (A)4-2/2005 Shimla-171 001 the 10th April, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Right of Information Act, 2005, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to publish the records and other activities of the Labour & Employment Department, as under :—

1.	The particulars of its organisation, functions and duties	The Department of Labour & Employment came into existence in 1972 after segregation from Industries Department. It is mainly responsible for implementation of various Labour Laws (27 Central & 2 State Acts) and for providing employment assistance to job-seekers. The Department has been playing the role of a facilitator and regulator. It comprises of 3 wings—Labour, Factories & Employment. The Labour wing is primarily looking after the welfare, health & safety of the workers in the industrial and commercial establishments. It is also responsible for maintaining industrial peace and harmony between the managements and the workers. The Factory Wing is responsible for approval of Building Plans of factories, issue and renewal of factory licence and inspection of factories to ensure compliance of provisions regarding health, safety and welfare of factory workers. The Employment wing helps the interested job seekers and other persons interested in self employment by way of registration, sponsoring and by providing vocational guidance and career counselling.
2.	The powers and duties of its officers and employees.	Cases which are disposed off at the level of **Secretary (Lab and Emp.) Govt. of HP :** (i) Establishment matter relating to Lab. & Emp. Deptt. (ii) Lok Sabha/Rajya Sabha Questions (iii) Court Cases (iv) Budget, Financial Matter/Expenditure sanctions. (v) Publication of Awards **Deputy Secretary :** (i) All correspondence relating to personnel matters/financial sanctions etc. are routed through him to the Secretary. (ii) Public representations received in this office are forwarded to the concerned departments for report and appropriate action. **Section Officer :** (i) To supervise all the work relating to personnel/budget and public representative etc. (ii) To ensure all the Dealing Asstt. and Diarist are maintaining all required registers and keep the same updated. (iii) To keep carefully watch on the movements of dak files between section and higher authorities. (iv) To ensure timely submission of time bound cases/Court cases. (v) To ensure that all manuals, rules, inspections, guard files etc. of the section are kept up to date. **Superintendent :** (i) To supervise all the work of dealing Asstts. under their control. (ii) To ensure timely submission of all papers according to their priority. **Sr./Jr. Asstt. :**

		(i) Opening/maintaining of files and noting and drafting upto date of various types of data and maintenance of various registers. (ii) Establishment matters including R & P Rules, maintenance of service books, service records, leave account, pension cases, disciplinary matters, pay fixation, finalisation of seniority, court cases and other misc. matters. **Clerk :** (i) Diary and despatch/movement of files weekly & monthly statements etc. (ii) Maintenance of leave account and other misc. work entrusted by the S.O.
3.	The procedure followed in the decision making process including channels of supervision and accountability.	All the cases in the Branch are submitted on file by the concerned Dealing Asstts. Supervised by the Supdt. and submitted to the S.O. He submits it further to the Under Secretary then to the Secretary. Routine matters and informatory references are disposed off at S.O./Under Secretary level. Financial matters/expenditure sanctions, decision taking power vests with the Secretary.
4.	The norms set by it for the discharge of its functions.	As stated at Point No. 2 & 3.
5.	The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control.	The various rules & regulations/instructions followed are as under:— 1. HPFRs 2. CCS & CCA Rules 3. Conduct Rules 4. Medical Attendance Rules 5. Delegation of financial powers 6. LTC Rules/GPF Rules/Pension Rules etc. 7. R & P Rules 8. Office Manuals
6.	Statement of the categories of the documents that are held by it or under its controls.	N.A.
7.	The particulars of any arrangement that exists for consultation with representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof.	N.A.
8.	A statement of the Board, Councils Committee & Other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice and as to whether meetings of those Boards/ Councils/Committee and other Bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.	N.A.

9.	A directory of its officers and employees.	1. Secretary (Lab & Emp.)- Ph. No. 2621876, 2880735 2. Deputy Secretary: Ph. No. 2628499, 2880527 3. Senior Private Secretary/P.A.: Ph. No. 2621876, 2880735 4. Section Officer: Ph. No. 2880444 5. Superintendent: Ph. No. 2880544 6. Sr. Asstts.: Ph. No. -do- 7. Jr. Asstt.: Ph. No. -do- 8. Clerks: Ph. No. -do- 9. Peon.: Ph. No. -do-
10.	The monthly remuneration received by each of its officer and employees including the system of compensation as provided in its Regulation.	N.A.
11.	The Budget Allocated to each of its agency indicating the particulars of all plans, proposed expenditure and reports on disbursement made.	N.A.
12.	The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	N.A.
13.	Particulars of recipients of concessions permits or authorizations granted by it.	N.A.
14.	Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic form.	N.A.
15.	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained for public use.	N.A.
16.	The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.	This department *vide* Notification dt. 31-10-05 has already designated the officers of the Lab. and Employment Deptt. as Appellate Authority/Public Information Officer. The said information is also available on the official website of the State Government.
17.	Such other information as may be prescribed.	The list of all the Acts and Rules which are pertaining to the L & E Deptt. is available on the Website of the Deptt.

By order,
Sd/-
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of H.P.

Endst. No. Shram (A) 4-2/2005 Shimla-2, the 10th April, 2007

Copy to:—

1. The Principal Secretary (AR) to the Govt. of H.P., Shimla-2.
2. All the Admn. Secretaries, H.P., Shimnla-2.
3. All the HOD's in H.P.
4. All Div. Commissioners/DCs in H.P.
5. The Controller, P & S, H.P. Shimla-5 for publication in the Rajpatra (Extra ordinary).
6. Guard File.

Sd/-
Deputy Secretary (Lab. & Emp.)
to the Government of H.P.

अध्याय–8

Government of Himachal Pradesh
Directorate of Labour & Employment

OFFICE ORDER

No. Shram(Prastha)11/05.— Shimla-171 001, 19th March, 2019

The particulars of the organization, functions and duties etc. required to be published as per provisions of Sub-Section (1)(b) of Sec. 4 of the Right to Information Act, 2005 are as under:—

(I) Particulars of Labour & Employment Department, its functions & duties :

The Department is regulatory in nature and primarily concerned with ensuring the implementation of Labour Acts (26 Central & 2 of the State) and of the Employment Exchange (Compulsory Notification of Vacancies) Act, 1959 and Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Participations) Act, 1995. The Labour Wing of the department is primarily responsible for implementation /enforcement of Labour Laws and maintaining Industrial Peace. The Factory Wing is looking after the Registration of Factories, Welfare & Safety of Workers working in such Factories. The Employment Wing gives Employment Assistance, primarily to the youth.

The names of the Labour Acts are as under:—

1. Bonded Labour System (Abolition) Act, 1976
2. Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970
3. Child Labour (Regulation and Prohibition) Act, 1986
4. The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996.
5. Cine Workers and Cinema Theatre Workers (Regulation of Employment) Act, 1981.
6. The Building and Other Construction Workers Cess Act, 1996
7. Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, 1952
8. Employees State Insurance Act, 1948
9. Equal Remuneration Act, 1976
10. Factories Act, 1948
11. Industrial Dispute Act, 1947
12. Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1946
13. Interstate Migrant Workman (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979.
14. The Labour Laws (Exemption from Furnishing Returns and Maintaining Registers by certain Establishments) Act, 1988.

15. Maternity Benefit Act, 1961
16. Minimum Wages Act, 1948
17. Motor Transport Workers Act, 1961
18. Payment of Bonus Act, 1965
19. Payment of Gratuity Act, 1972
20. Payment of Wages Act, 1936
21. Plantation Labour Act, 1951
22. Sales Promotion Employees (Conditions of Service) Act, 1976
23. Trade Unions Act, 1926
24. Working Journalists and other Newspapers Employees (Condition of Service and Miscellaneous Provisions) Act, 1955.
25. Workman Compensation Act, 1923
26. Employment Exchanges (Compulsary Notification of Vacancies) Act, 1959
27. Persons with Disabilities (Full Participation, Equal Opportunities & Protection of Rights) Act, 1995.

State Acts :

1. Himachal Pradesh Shops & Commercial Establishments Act, 1969
2. H.P. Industrial Establishments (National & Festivals Holidays, Casual & Sick Leave) Act, 1969.

(II) **Powers and duties of Officers and Employees :**

Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is also the Chief Inspector of Factories, Registrar of Trade Unions, Chief Inspector of Shops and Conciliation Officer under Industrial Disputes Act, 1947.

The Directorate monitors the working of the field offices. Registration of Factories is done under the Factories Act, 1948 and disputes are referred to the two Labour Courts-*cum*-Industrial Tribunals in H.P. at Shimla and Dharamshala under the Industrial Disputes Act, 1947, Registration of Trade Unions is done under the Trade Union Act, 1926 Registration of Motor Transport is done under Motor Transport Act Prosecution sanctions are given to the field functionaries to launch prosecution against the defaulters under various Labour Laws.

Employment Assistance is provided to Physically Handicapped and sponsoring of skilled registrants to private sector, inspection of subordinate offices and Establishments in Private and Public Sector.

POWER & DUTIES

Labour Commissioner:

Labour Commissioner is functioning as Chief Inspector of Factories, Chief Inspector of Shops and Commercial Establishments under the respective Acts. The Labour Commissioner is also functioning as Conciliation Officer under the Industrial Disputes Act, 1947 and Registrar Trade Unions under the Trade Unions Act, 1926. The Labour Commissioner also functions as Inspector under the various Labour laws and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Order) Act.

Joint Labour Commissioner:

The Joint Labour Commissioner is functioning as Additional Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948 and the Certifying Officer under Industrial Employees (Standing Orders) Act, Appellate Authority under the Payment of Gratuity Act and also functioning as Inspector under various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Deputy Labour Commissioner:

The Deputy Labour Commissioner is functioning as Deputy Chief Inspector of Factories under the Factories Act, 1948, Appellate Authority under the Contract Labour Act (R&A) Act, 1970, Registering Officer under the Motor Transport Worker Act, 1961 and also

functioning as Inspector under the various Labour laws and also functioning as conciliation officer under the Industrial Disputes Act, 1947 for whole H.P.

Labour Officers & Labour Inspectors:
Labour Officers and Labour Inspectors are also Conciliation Officers for Industrial Disputes. Labour Officers act as controlling authority to decide claims of gratuity under Payment of Wages Act,1970. Registration Officers and licensing officer under Contract Labour Act (R & A) Act, 1970 and Inter State Migrant Workmen (RECS) Act. Where there are more than 200 workers and Labour Officer is not posted in the District, there District Employment Officers discharge the duty of Conciliation Officer to try and resolve Industrial Dispute arising between management and workers. They also carry out Inspection of Public and Private Sector Units. Labour Officers and Labour Inspectors ensure implementation of Labour Acts including the shops registration, implementation of Minimum Wages and forwarding of cases regarding violation of provision of payment of wages, Gratuity, Bonus to Directorate for obtaining prosecution sanctions.

Deputy Director of Factories:
Deputy Director of Factories looks after Registration of Factories and Safety & welfare of workers working therein.

EMPLOYMENT SECTION

At the Directorate Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment is assisted by Deputy Director Employment and by Employment Market Information Officer, State Vocational Guidance Officer, Officer-in-Charge (Placement), (Special Employment Exchange for Physically Handicapped) and Employment Officer (Central Employment Cell).

Regional Employment Officers and District Employment Officers give Vocational Guidance, Career Counseling and Employment Assistance for jobs in Private Sector and Govt. Sector as well as for self employment, to such persons who are residing in their territorial jurisdiction. They also inspect subordinate Employment Exchanges. Private and Public sector establishments in their districts are also inspected by them and Employment Officers, Superintendent Grade-II and Statistical Assistants. Incharges of Sub Office Employment Exchanges are also carrying out these functions except that of inspection. The two UEIGBs at HPU Shimla and Chaudhary Sarwan Kumar Himachal Pradesh Agriculture University Palampur are giving vocational guidance mainly to the respective University students.

(III) Procedure followed in decision making process including channels of supervision and accountability:
All offices are working independently but under administrative control of next higher office. They can also be inspected by superior departmental officers. The office of Assistant Director of Factories Una, all University Employment Information Guidance Bureaus, Regional Employment Exchanges, District Employment Exchanges and office of Labour Officers are audited by A.G. Office from time to time.

(IV) The norms set by discharge of its function:
Registration and renewal of registration in Employment Exchange is done on the same day and sponsoring of registrants is also done within scheduled time (Generally four weeks).

(V) The rules, regulations, instructions, manuals and records held by it or under its control:
Being a regulatory department it ensures the implementation of the Acts (and Rules) as mentioned at Sr. No. I hereinabove as also all rules and instructions of Himachal Pradesh Govt. applicable on the Departments.

(VI) Statement of the categories of the documents:

A statement of the categories of the documents that are held by it or under its control. Files related to ensuring the implementation the Acts & Rules mentioned against Sl. No. (V) hereinabove. Also files related to Budget, Plan and Annual Administrative Report etc.

(VII) **The particulars of any arrangement that exists for consultation with, or representation by, the members of the public in relation to the formulation of its policy or administration thereof:**

(a) State Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of Hon'ble Employment Minister as Chairman, 16 Members and Director of Employment as Member Secretary includes representatives of Employers workers as well as public representatives.

(b) District Committee on Employment notified on 30-1-2006 comprising of respective DCs as Chairman, 10 Members and respective REOs/DEOs as Member Secretary including representatives of employers, workers and public representatives.

(c) Minimum Wages Advisory Board constituted on 1-9-2003 comprising of Chairman, 37 Members and Member Secretary and constituted a committee on 30-1-2004 comprising of Chairman, 11 Members and Member Secretary.

(d) Expert Committee under Building and Construction Act constituted on 24th Sep., 2003 comprising of Chairman, 9 Member and Member Secretary.

(e) Regional Board for H.P. region under ESI Act, 1948 which consist of a Chairman,Vice-Chairman, 3 members, Ex-Officio Member, 2 Employees Representative, 6 Employers Additional Representative and Member Secretary.

(f) Regional Committee for State of H.P. under Employee Provident Fund Scheme, 1952 which consists of Chairman, 2 Official Members, 5 Members of Employers Representative, 5 Members of Employees Representatives.

(g) Three local committees under Regional Board constituted under ESI (Gen.) Regulation, 1950 consisting following members: Chairman, Member, Labour Inspector, Medical Officer, Incharge, 4 Members of Factory & Branch Manager, ESI Corporation.

(h) State Level Tripartite Committee which consist of Chaiman, Vice-Chairman, 14 Members and Member Secretary.

(i) State Advisory Contract Labour Board consisting Chairman, 7 members, Member Secretary.

(j) State Labour Welfare Board consisting Chairman (Hon'ble Chief Minister) 112 Members and Member Secretary.

(VIII) **A statement of the board, councils committees and other bodies consisting of two or more persons constituted as its part of or for the purpose of its advice, and as to whether meetings of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public or the minutes of such meetings are accessible for public.**

As mentioned against item No. (vii) hereinabove meetings are not open to public as such. However, due care has been taken to involve all the stake holders.

(IX) **A Directory of Officers and Employees as on 31-03-2022.**

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
1.	Sh. Ashish Singhmar, IAS	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	0177-2625085
2.	Sh. Chander Mani	Labour Officer and holding the additional charges of Deputy Labour Commissioner	0177-2624305
3.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director Factories, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624157
4.	Smt. Nirmal Gupta	Superitendent Grade-1, New Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2625277
5.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer, Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2625277
6.	Smt. Vijay Gupta	District Employment Officer, Himrus Building, HP, Shimla-1	0177-2624305

Sl. No.	Name of the Officer	Designation	Office Telephone Nos.
7.	Sh. Surinder Singh	Assistant Director Factories, Una Zone, District Una	01975-224095
8.	Sh. Anshul Kumar	District Employment Officer, Shimla	0177-2658174
9.	Sh. Safra Ram	District Employment Officer,District Mandi	01905-235508
10.	Sh. Shammi Sharma	District Employment Officer, Dharamshala, District Kangra	01892-224892
11.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer, District Solan	01792-227242
12.	Sh. Akshay Sharma	District Employment Officer, District Nahan	01702-222274
13.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer, District Bilaspur	01978-222450
14.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer, District Kullu.	01902-222522
15.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer, District Una	01975-226063
16.	Smt. Sudha Sood	District Employment Officer, District Hamirpur	01972-222318
17.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer, District Chamba	01899-222209
18.	Sh. Puran Chand	District Employment Officer, Keylong, District Lahaul & Spiti	01900-222252
19.	Sh. Surinder Bisht	Labour Officer holding the additional charge of District Employment Officer, Kannaur	01786-222291
20.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer, Shimla	0177-2624706
21.	Sh. Puran Chand	Labour Officer, Rampur, District Shimla	01782-234286
22.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer, Dharamshala, Distt. Kangra	01892-225329
23.	Sh. Jatinder Bindra	Labour Officer, District Nahan	01702-226144
24.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer, District Mandi	01905-235542
25.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer, District Bilaspur	01978-221516
26.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer, District Chamba	01899-223233
27.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer, District Kullu	01902-223698
28.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer Solan	01792-227076
29.	Sh. Surinder Bisht	Labour Officer Kinnaur	01786-222007
30.	Sh. Munish Karol	Labour Officer Baddi, District Solan	01795-271210
31.	Sh. Prem Singh Chambyal	Labour Officer, District Una	01975-224243

(X) The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in its regulations as per revised Pay Scale Under HP CS (RP) Rules, 2022.

Post	Pay Scale
Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, IAS	Level-13 (123100-215900)
Deputy Director of Factories	Level-24 (91500-203400)
Joint Labour Commissioners	Level-21 (67400-201200)
Deputy Labour Commissioner	Level-17 (53600-170100)
Deputy Director of Employment	Level-20 (64500-198300)
District Employment Officers	Level-17 (53600-170100)
Superintendent Grade-I	Level-16 (48700-154300)
Labour Officers	Level-13 (46000-146500)
Employment Officers	Level-13 (46000-146500)

Law Officer	Level-12 (43000-136000)
Superintendent Grade-II	Level-12 (43000-136000)
Personal Assistant	Level-12 (43000-136000)
Senior Scale Stenographer	Level-11 (38500-122700)
Statistical Assistant	Level-11 (38500-122700)
Senior Assistant	Level-11 (38500-122700)
Labour Inspectors	Level-10 (38100-120400)
Computer Operator	Level-9 (35600-112800)
Junior Assistant	Level-7 (28900-91600)
Junior Scale Steno	Level-7 (28900-91600)
Driver	Level-5 (21300-67800)
Steno-typist	Level-5 (21300-67800)
Clerk	Level-3 (20200-64000)
Daftri	Level-2 (18400-58500)
Peon, Chowkidar & Sweeper	Level-1 (18000-56900)
Frash	Level-1 (18000-56900)

(XI) The budget allocated to each of its agency, indicating the particulars of all plans, proposed expenditures and reports on disbursements made;

Standard Object of Expenditure-wise budget is allocated to each Drawing and Disbursing Officer and expenditure is regularly monitored.

(XII) The manner of execution of subsidy programmes, including the amount allocated and the details beneficiaries of such programmes.
Not Applicable.

(XIII) particulars of recipients of concessions, permits or authorization granted by it.
Not Applicable.

(XIV) Details in respect of the information available to or held by it, reduced in an electronic Form:

Registration record of Regional Employment Exchange Shimla, Registration record of Central Employment Cell at Directorate, Salary disbursement at Directorate.

(XV) The particulars of facilities available to citizens for obtaining information, including the working of a library or reading room, if maintained, for public use.

(XVI) The offices of the department are open to citizens for obtaining information on all working days, especially on all working Mondays when officers are available for meeting the citizens.

The names, designations and other particulars of the Public Information Officers.

Name of Department: Labour & Employment, Himachal Pradesh

Detail of PIO & Appellate Authority as on 31-03-2022

Sl. No.	Name of the PIO	Designation	Complete Office Address	Office Telephone Nos.
PIO				

1.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer and holding the additional charge of Deputy Labour Commissioner	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624305
2.	Sh. A.K. Sood	Deputy Director Factories	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2624157
3.	Smt. Nirmal Gupta	Superintendent Grade-1	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P. Shimla-1.	0177-2625277
4.	Sh. Rajesh Sharma	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P., Shimla-1.	0177-2625277
5.	Smt. Vijay Gupta	District Employment Officer.	Directorate of Labour & Employment, New Himrus Building, H.P., Shimla-1.	0177-2624305
6.	Sh. Surender Singh	Assistant Director Factories	Assistant Director Factories Una	01975-224095
7.	Sh. Anshul Kumar	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, U.S. Club, Shimla	0177-2658174
8.	Sh. Safra Ram	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Mandi	01905-235508
9.	Sh. Shammi Sharma	District Employment Officer	Regional Employment Exchange, Dharamshala.	01892-224892
10.	Sh. Sandeep Thakur	District Employment Officer	District Employment Exchange, Solan	01792-227242
11.	Sh. Akshay Sharma	District Employment Officer	District Employment Exchange, Sirmaur at Nahan	01702-222274
12.	Sh. Rajesh Mehta	District Employment Officer	District Employment Exchange, Bilaspur.	01978-222450
13.	Smt. Manorma Devi	District Employment Officer	District Employment Exchange, Kullu.	01902-222522
14.	Smt. Anita Gautam	District Employment Officer	District Employment Exchange, Una	01975-226063
15.	Smt. Sudha Sood	District Employment Officer	District Employment Exchange, Hamirpur.	01972-222318
16.	Sh. Arvind Singh Chauhan	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Chamba.	01899-222209

17.	Sh. Puran Chand	District Employment Officer.	District Employment Exchange, Lahaul & Spiti at Keylong	01900-222252
18.	Sh. Surender Kumar Bisht	Labour Officer and holding the additional charge of District Employment Officer Kinnaur	District Employment Exchnage, Kinnaur	01786-222291
19.	Sh. Chander Mani Sharma	Labour Officer	Labour Office, Shimla	0177-2624706
20.	Sh. Puran Chand	Labour Officer	Labour Office, Rampur	01782-234286
21.	Sh. Raj Kumar Sharma	Labour Officer	Labour Office, Dharamshala	01892-225329
22.	Sh. Jitender Bindra	Labour Officer	Labour Office, Nahan	01702-226144
23.	Sh. Pyare Lal	Labour Officer	Labour Office, Mandi	01905-235542
24.	Smt. Bhawna Sharma	Labour Officer	Labour Office, Bilaspur	01978-221516
25.	Sh. Anurag Sharma	Labour Officer	Labour Office, Chamba	01899-223233
26.	Sh. Dinu Ram	Labour Officer	Labour Office, Kullu	01902-223698
27.	Sh. Prithvi Singh	Labour Officer	Labour Office, Solan	01792-227076
28.	Sh. Surinder Kumar Bisht	Labour Officer	Labour Officer, Kinnaur	01786-222007
29.	Sh. Munish Karol	Labour Officer	Labour Officer, Baddi	01795-271210
30.	Sh. Prem Singh Chambyal	Labour Officer	Labour Officer, Una	01975-224243

B. Appellate Authority

1.	Sh. Ashish Singhmar, IAS.	Labour Commissioner-*cum*-Director of Employment, H.P.	New Himrus Bhawan, Shimla-171001.	0177-2625085

(XVII) Such other information may be prescribed; and thereafter update those publications every year.

राजकीय मुद्रणालय, हि0 प्र0, शिमला—1000—एल.सी. / डी.ई.टी. / 2022——21—9—2022——100 प्रतियां।